भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय–सूची

अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सारांश	v-vii
अध्याय I – प्रस्तावना		
1.1	दिव्यांगजनों से संबंधित प्रावधानों को सक्षम करना	1
1.2	संगठनात्मक ढांचा	2
1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	3
1.4	लेखापरीक्षा मानदंड	4
1.5	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	4
1.6	आभार	5
अध्याय II – अधिकार और हक़दारी		
2.1	नई राज्य नीति को तैयार करना	7
2.2	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 का कार्यान्वयन	8
2.3	विशेष योग्यजनों को आरक्षण प्रदान करना	8
2.4	समान अवसर के लिए नीति	9
2.5	अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र	10
अध्याय III – सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास		
3.1	सामाजिक सुरक्षा	13
3.2	विशेष योग्यजनों का पुनर्वास	16
3.3	विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ योजनाएं	21
3.4	योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण	27
अध्याय IV – दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करना और विशेष योग्यजनों का कल्याण		
4.1	विशेष योग्यजनों की पहचान और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना	29
4.2	शिक्षा	32
4.3	विशेष योग्यजनों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली	35
4.4	संस्थानों का पंजीयन	37

अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ
अध्याय V – वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण		
5.1	वित्तीय प्रबंधन	39
5.2	मानव संसाधन प्रबंधन	42
5.3	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	43
परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट-I	नमूना जांच के लिए चयनित इकाइयों का विवरण	47
परिशिष्ट-II	2016-21 के दौरान निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा कार्यान्वित 12 योजनाओं का विवरण	48
परिशिष्ट-III (अ)	वर्ष 2016-21 के दौरान राजकीय मानसिक विमंदित गृह के बालक एवं महिला प्रकोष्ठ में मानव संसाधन की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या का विवरण	50
परिशिष्ट-III (ब)	मार्च 2021 तक गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृहों में चिकित्सा कमर्चारी सहित मानव संसाधन की कुल स्वीकृत और कार्यरत संख्या का विवरण	50
परिशिष्ट-IV	गैर सरकारी संगठनों को नया पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने में लगने वाले समय का विवरण	51
परिशिष्ट-V	गैर सरकारी संगठनों के नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने में लगने वाले समय का विवरण	52
परिशिष्ट-VI	2016-17 से 2019-20 के दौरान बधिर कल्याण समिति, जोधपुर को दिये गए अनुदान का विवरण	54

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2016-21 की अवधि के लिए **"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान में विशेष योग्यजनों के लिए प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति का आंकलन करती है और अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनके कल्याण, उत्थान और अधिकारिता के लिए उठाए गए कदमों की जांच करती है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए बाध्य करता है। इन लाभों को लागू करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया गया था।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 15.64 लाख दिव्यांगजन थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या (6.85 करोड़) का 2.28 प्रतिशत था। राजस्थान में दिव्यांगजनों की छठी सबसे बड़ी जनसंख्या थी, जो देश में कुल दिव्यांगजनों का 5.83 प्रतिशत थी।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन का आंकलन है। यह जांच की गई कि क्या राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2016-21 की अवधि को सम्मिलित किया गया था।

लेखापरीक्षा में राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के अधिकार और हकदारी प्रदान करने में काफी देरी देखी गई। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के चार वर्ष बाद अक्टूबर 2021 में पदोन्नति में आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट और अंकों में रियायत के प्रावधान अधिसूचित किए गए थे। *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण किया जाए।*

सरकार द्वारा समान अवसर नीति को अभी अनुमोदित किया जाना है। *राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति को शीघ्र अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।*

राजस्थान विशेष योग्यजन नीति, 2012 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संशोधित किया जाना है।

दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों को जारी करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ क्योंकि 9.85 लाख आवेदनों में से 31 प्रतिशत एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे। *राज्य सरकार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विशेष योग्यजनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला सकती है और आवेदनों के निस्तारण के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा के संबंध में मानदंड निर्धारित कर सकती है।*

जब सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, तो मार्च 2021 तक केवल 5.77 लाख विशेष योग्यजनों (37 प्रतिशत) को ही दिव्यांगता पेंशन मिल रही थी।

विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन 2016-17 से 2020-21 तक लगभग 30 प्रतिशत घटा । *राज्य सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर सकती है ।*

राज्य में बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक विमंदित गृह पर्याप्त नहीं थे और मौजूदा मानसिक विमंदित गृह कर्मचारियों और सुविधाओं की कमी से ग्रस्त थे । *राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में सरकारी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह स्थापित कर सकती है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है ।*

विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना और संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत आय प्रमाण-पत्र, विवाह कार्ड, मूल निवास, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अंग एवं उपकरणों की प्राप्ति जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना विशेष योग्यजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी । इसके अलावा, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत पूर्ण ऋण के वास्तविक संवितरण को सुनिश्चित किए बिना अनुदान जारी किया गया था और अपात्र व्यक्तियों को अनुदान का अनियमित वितरण किया गया था । *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि विशेष योग्यजन के लिए निर्धारित लाभों का अपात्र व्यक्तियों को विचलन न हों । अपात्र व्यक्ति को लाभ के विचलन के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती हैं ।*

निदेशालय, विशेष योग्यजन ने समय-समय पर दिव्यांगजनों के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया । *राज्य सरकार समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण कर सकती है जिससे उन्हें प्रगति की निगरानी करने के साथ-साथ विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने में मदद मिलेगी ।*

निदेशालय, विशेष योग्यजन ने गैर सरकारी संगठन के नए पंजीयन और प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण स्वीकृत करने में अधिक समय लिया । *राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों का समय पर पंजीयन स्वीकृत करने और उनके नवीनीकरण के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर सकती है और गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी निगरानी के लिए उचित डेटाबेस तैयार कर सकती है ।*

राज्य आयुक्त के पास पीड़ित विशेष योग्यजनों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था । अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आवश्यक राज्य सलाहकार बोर्ड अभी तक गठित नहीं किया गया था । *राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती है ।*

निदेशालय, विशेष योग्यजन का जिला या निचले स्तर पर कोई समर्पित कर्मचारी नहीं था, हालांकि विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए केंद्रित हस्तक्षेप के लिए अक्टूबर 2011 में विशेष योग्यजनों के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई थी । *राज्य सरकार अधिनियम*

और योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला/खण्ड स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन के साथ अलग विशेष योग्यजन कार्यालय स्थापित कर सकती है।

जिला अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठन का तिमाही/मासिक निरीक्षण नहीं किया बल्कि निदेशालय, विशेष योग्यजन को अनुदान जारी करने के लिए सिफारिश करते समय अर्धवार्षिक आधार पर निरीक्षण किया गया। *राज्य सरकार अधिनियम में परिकल्पित मजबूत संस्थागत तंत्र और समय पर सटीक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करके प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित कर सकती है।*

आठ नमूना जांच किए गए जिलों में, कई सरकारी भवन विशेष योग्यजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं थे क्योंकि रैम्प, रेलिंग और सुलभ शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया था।

अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 दिव्यांगजनों से संबंधित प्रावधानों को सक्षम करना

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिये बाध्य करता है। इसके अनुरूप, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (दिअअधि), 2016 जो अप्रैल 2017 से लागू हुआ, ने मौजूदा पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया और दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन[1] 2006 द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- अधिनियम 21 प्रकार[2] की दिव्यांगता को निर्धारित करता है जबकि 1995 के मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत केवल 7 श्रेणियां थी।

- यह अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न अधिकारों और हक़दारियों यथा समानता और गैर-भेदभाव, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा, न्याय तक पहुंच, कानूनी क्षमता आदि का प्रावधान करता है।

- सरकारों को मौजूदा सार्वजनिक भवनों और बुनियादी ढांचे को पांच साल के भीतर सुलभ बनाने और दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

- भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लाभ 'संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों' अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता नहीं से संबंधित हैं। जैसा कि एक प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हैं।

---

1 भारत ने अक्टूबर 2007 में सम्मेलन की पुष्टि की।

2 (i) अंधता (ii) निम्न दृष्टि (iii) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति (iv) श्रवण शक्ति का ह्रास (बधिर और कम सुनने वाला व्यक्ति) (v) गतिविषयक दिव्यांगता (vi) बौनापन (vii) बौद्धिक दिव्यांगता (viii) मानसिक रुग्णता (ix) स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार (x) प्रमस्तिष्क घात (xi) बहुदुष्पोषण दिव्यांगता (xii) चिरकारी तंत्रिका दशाएं (xiii) विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता (xiv) बहु स्क्लेरोसिस (xv) वाक एवं भाषा दिव्यांगता (xvi) थैलेसीमिया (xvii) हैमोफिलिया (xviii) सिक्कल कोशिका रोग (xix) बधिर अंधता सहित अनेक दिव्यांगतायें (xx) तेजाब आक्रमण पीड़ित और (xxi) पार्किंसंस रोग।

2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 15.64 लाख दिव्यांग व्यक्ति थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या (6.85 करोड़) का 2.28 प्रतिशत था। राजस्थान में दिव्यांगजनों की छठी सबसे बड़ी आबादी थी, जो देश में कुल दिव्यांगजनों का 5.83 प्रतिशत थी। दिव्यांगजनों का श्रेणी वार अनुपात **चार्ट 1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दिव्यांगजनों का श्रेणी-वार प्रतिशत

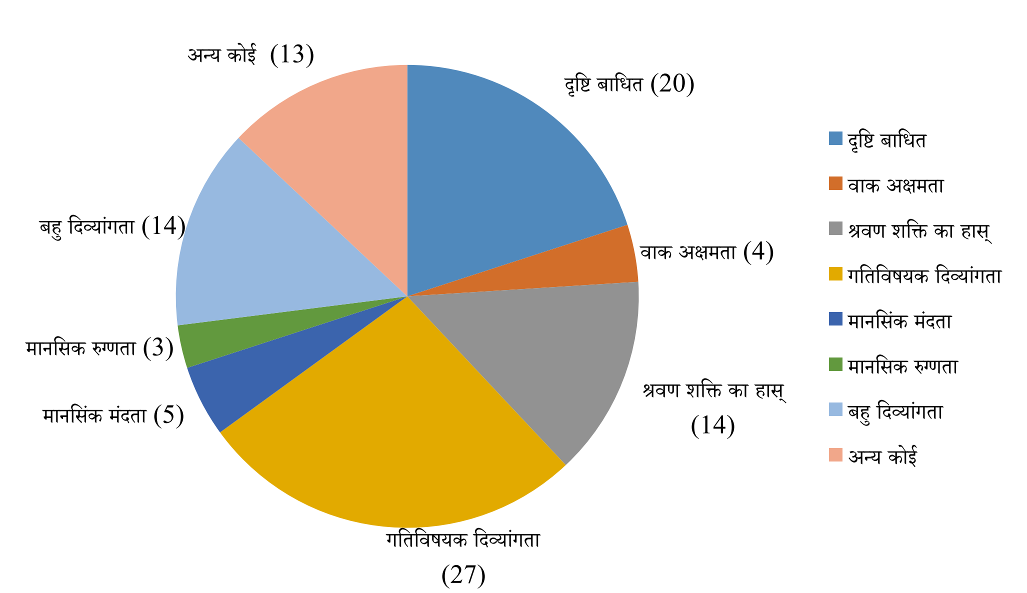

स्रोतः "पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) इन इंडिया- ए स्टैटिकल प्रोफाइल 2021" सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रावधानों, अधिनियम एवं नियमों का लाभ समर्पित तरीके से देने के उद्देश्य से राज्य में एक पृथक निःशक्तजन निदेशालय की स्थापना (अक्टूबर 2011) में की गई। इसके बाद, मार्च 2012 से निदेशालय का नाम बदलकर निदेशालय विशेष योग्यजन कर दिया गया और दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य में "विशेष योग्यजन" कहा गया।

प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और निदेशक-सह-विशिष्ट शासन सचिव, विशेष योग्यजन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो निदेशालय, विशेष योग्यजन के प्रमुख हैं और विशेष योग्यजनों के लाभ के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा वितरित

धन के उपयोग की समग्र योजना, विभिन्न योजनाओं[3] के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है। उप/सहायक निदेशक अर्थात जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तर के अधिकारी और खंड स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी योजनाओं के प्रशासन और कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। मार्च 2021 को, राजस्थान में विशेष योग्यजनों के लिए 35 मानसिक विमंदित गृह और 101 आवासीय और गैर आवासीय विद्यालय गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे थे, जो निदेशालय, विशेष योग्यजन से अनुदान प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, एक राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली (जयपुर) निदेशालय, विशेष योग्यजन के नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 के तहत राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन का एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया गया था। राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजनों के अधिकारों से वंचित किये जाने से संबंधित शिकायतों की जांच के अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांचने के लिए की गई थी कि क्याः

(i) *सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के अधिकारों और हक़दारी को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही गरिमा, समानता, गैर-भेदभाव, व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्रता और पहुंच के लिए पर्याप्त उपाय किए गये थे;*

(ii) *पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा एवं प्रभावी पुनर्वास और मनोरंजक उपायों के माध्यम से सामाजिक भागीदारी, समावेश और स्वीकृति सुनिश्चित की गई थी;*

(iii) *अवसर की समानता सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त और प्रभावी रूप से स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से प्रदान किए गए थे; तथा*

(iv) *प्रभावी वित्तीय प्रबंधन, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण सहित शासन की प्रभावी प्रणाली मौजूद थी।*

---

3 उदाहरणों में शामिल हैं (i) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना; (ii) विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना; (iii) संयुक्त सहायता अनुदान योजना; (iv) विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना; (v) विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना; (vi) विशेष योग्यजन चिन्हीकरण योजना; (vii) आस्था योजना; (viii) विशेष योग्यजन खेलकूद योजना; (ix) विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना; (x) पोलियो सुधार शिविर; (xi) पेंशन धारक विशेष योग्यजन को स्व-व्यवसाय योजना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता; और (xii) विशेष योग्यजन स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजना।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों के प्रति मानक किया गया :

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (दिअअधि), 2016;
- राजस्थान विशेष योग्यजन नीति, 2012;
- राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन का वार्षिक प्रतिवेदन;
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम (राजदिअनि), 2018; तथा
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देश, सरकारी आदेश और जारी परिपत्र।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2016-21 की अवधि को शामिल किया गया जो जुलाई 2021 में शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ एक परिचयात्मक बैठक (जुलाई 2021) के साथ शुरू हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, इकाइयों का चयन, लेखापरीक्षा पद्धति और निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। निदेशक-सह-विशिष्ट शासन सचिव, विशेष योग्यजन के कार्यालय के साथ-साथ राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन के कार्यालय के अभिलेखों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा ने जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आठ उप निदेशक/सहायक निदेशक कार्यालयों और खण्ड स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 16 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों का चयन किया था। राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली (जयपुर) के अलावा आठ चयनित जिलों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 13 मानसिक विमंदित गृहों में से आठ मानसिक विमंदित गृहों का चयन किया गया। इसके आगे, नमूना जांच किए गए आठ जिलों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 33 आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों में से 11 का चयन किया गया था। ये सभी चयन आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से किए गए थे। इसके अलावा, चयनित आठ जिलों में, लेखापरीक्षा के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत पांच विशेष स्कूल, एक जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) और तीन केंद्र जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता/उपकरणों की खरीद/फिटिंग (एडीआईपी) को भी चयनित किया गया था जो कि केंद्रीय अनुदान के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे थे। चयनित इकाइयों का विवरण ***परिशिष्ट-I*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ 11 अप्रैल 2022 को आयोजित समापन परिचर्चा

में विचार-विमर्श किया गया। समापन परिचर्चा में व्यक्त किए गए राजस्थान सरकार के विचारों और राजस्थान सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

1.6 आभार

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान राजस्थान सरकार सहित शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन के सहयोग को स्वीकार करती है। लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता की भी लेखापरीक्षा सराहना करता है। हालांकि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी[4] प्रदान नहीं की गई जिसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का अधिक व्यापक और गहन विश्लेषण नहीं किया जा सका।

4 जैसे सभी योजनाओं का राज्य स्तरीय समेकित डेटा, गैर सरकारी संगठनों की राज्य स्तरीय जानकारी (पंजीकृत/नवीनीकृत/रद्द/बंद/आयोजित निरीक्षण आदि); विशेष योग्यजनों के बारे में राज्य/जिला स्तर की जानकारी (श्रेणी वार); आस्था कार्डों के वितरण के राज्य स्तरीय आंकड़े; पालनहार योजना के बारे में राज्य स्तरीय जानकारी; राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दी गई कानूनी संरक्षकता के बारे में राज्य स्तरीय जानकारी; डीडीआरसी, डीडीआरएस और एडीआईपी केंद्रों के बारे में वित्तीय जानकारी; शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी (प्राप्त शिकायतें/समाधान आदि)।

अध्याय–II

अधिकार और हक़दारी

अध्याय-II

अधिकार और हक़दारी

राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद भी संशोधित नहीं किया गया था। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 को एक वर्ष और आठ महीने से अधिक की देरी से लागू किया गया था। विभागों द्वारा विशेष योग्यजनों को आरक्षण पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं किया गया था और विशेष योग्यजन कर्मचारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद चार साल से अधिक समय से पदोन्नति में आरक्षण से वंचित थे।

राज्य आयुक्त कार्यालय में उसके आदेशों और निर्देशों के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तंत्र का अभाव था। अधिनियम के कार्यान्वयन के चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी राज्य में राज्य सलाहकार बोर्ड, दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य समिति, राज्य निधि एवं मूल्यांकन बोर्ड के गठन नहीं होने से संबंधित मामले अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र की स्थापना में गंभीर कमियों को इंगित करते है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 विभिन्न अधिकार और हक़दारियां प्रदान करता है जिसमें समानता और गैर-भेदभाव, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा, प्रजनन अधिकार, मतदान में पहुंच, न्याय तक पहुंच, कानूनी क्षमता आदि शामिल हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रयासों और संस्थागत तंत्र की स्थापना की चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

2.1 नई राज्य नीति को तैयार करना

राज्य सलाहकार बोर्ड को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 71 (2) के तहत राज्य की नीति विकसित करने और राज्य सरकार को दिव्यांगता के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं पर सलाह देने और राज्य में दिव्यांगता से संबंधित अन्य सरकारी / गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करने और दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सिफारिश करना और दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने को अनिवार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद भी, अक्टूबर 2022 तक राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 को संशोधित नहीं किया गया था।

नीति में संशोधन के अभाव के संबंध में राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा नई नीति तैयार करने के बाद कार्रवाई की जाएगी और उस नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं को नई राज्य नीति में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में राज्य सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए समावेशन पर नवीनतम राष्ट्रीय और वैश्विक प्रोत्साहन के अनुरूप एक समकालीन नीति, जिसमें विशेष योग्यजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित हों, उपलब्ध हों।

2.2 राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 का कार्यान्वयन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 के अनुसार, राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयन करने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख (अप्रैल 2017) से छह महीने के भीतर नियम बनाने की आवश्यकता थी। राजस्थान में, राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 को अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष आठ महीने व्यतीत हो जाने के बाद जनवरी 2019 में लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के कार्यान्वयन में देरी के कारण, कुछ महत्वपूर्ण तंत्र, जो अधिनियम में अनिवार्य है, जो कि अनुच्छेद 2.5 में बताये गये हैं या तो स्थापित नहीं किया गया था या देरी से स्थापित किया गया था जिसके कारण लाभार्थी उनके अधिकारों और हक़दारियों से वंचित रहे थे। राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

2.3 विशेष योग्यजनों को आरक्षण प्रदान करना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 34 में विशेष योग्यजनों को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में चार प्रतिशत[5] आरक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान अधिनियम में एक प्रतिशत की वृद्धि (निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में प्रावधान की तुलना में) बौद्धिक दिव्यांगता[6], मानसिक रुग्णता, बहु-दिव्यांगता, स्वालीनता और विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए थी। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) और (3) में पदोन्नति में आरक्षण और रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।

---

5 चार प्रतिशतः गतिविषयक दिव्यांगता, दृष्टि दिव्यांगता और श्रवण दिव्यांगता के लिए एक-एक प्रतिशत और बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, स्वालीनता, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता के लिए एक प्रतिशत।

6 बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति हैं जिसमें बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से प्रतिदिन कमी होना है जिसके अन्तर्गत 'विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता' और 'स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार' सहित दैनिक, सामाजिक और व्यवहार्य कौशलों की रेंज होती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 अधिसूचित (जनवरी 2019) होने के बाद, कार्मिक विभाग ने विशेष योग्यजनों के आरक्षण के संबंध में प्रासंगिक आदेश (अगस्त 2019) जारी करने में छह महीने ओर लिए गये।

राज्य स्तर पर इन आदेशों के अनुपालन के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार से सूचना मांगी गई थी (जुलाई 2021)। लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है (दिसम्बर 2022)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में पदोन्नति में आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट और अंकों में छूट से संबंधित प्रावधानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधिनियमन होने के चार साल बाद अधिसूचित किया गया था (अक्टूबर 2021)। राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

अनुशंसा 1: *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण किया जाए।*

2.4 समान अवसर के लिए नीति

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी दिव्यांग के साथ रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए और सरकार दिव्यांग कर्मचारियों के पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए नीतियां बना सकती है। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-IV के (कौशल विकास और नियोजन) प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में, जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का विवरण[7] देते हुए समान अवसर नीति को अधिसूचित करना था और प्रत्येक प्रतिष्ठान को उक्त नीति की एक प्रति राज्य आयुक्त के पास पंजीकृत करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि राज्य में समान अवसर नीति लागू नहीं की गई थी क्योंकि इसे अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)। तथापि, राजस्थान सरकार ने समान अवसर नीति के अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

अनुशंसा 2: *राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति को शीघ्र अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।*

7 सुगम्यता के सम्बन्ध में विशेष योग्यजनों के लिए उपयुक्त पद की पहचान, भर्ती के बाद प्रवेश और पदोन्नति प्रशिक्षण, स्थानांतरण और पोस्टिंग नीतियां आदि के संबंध में।

2.5 अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र

2.5.1 मूल्यांकन बोर्ड का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि संदर्भित दिव्यांगता वाला कोई व्यक्ति जो स्वयं अधिक सहारे[8] की आवश्यकता समझता है या उसके निर्मित कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहारा प्रदान किये जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकता हैं। अधिक सहारे की आवश्यकता के लिए आवेदन को जिला स्तर पर एक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2021-जनवरी 2022) कि राज्य सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के चार साल से अधिक समय बाद सितंबर 2021 में जिला स्तर पर मूल्यांकन बोर्ड गठित करने का आदेश जारी किया था। राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

2.5.2 दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य समिति का गठन

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 3 में प्रावधान है कि राज्य स्तर पर दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य समिति का गठन विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में और अन्य सदस्यों[9] से किया जाना चाहिए।

निदेशालय, विशेष योग्यजन के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई-अगस्त 2021) में पाया गया कि राज्य स्तर पर दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिये समिति का गठन राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी नहीं किया गया था (मार्च 2021)।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिये राज्य समिति के गठन की प्रक्रिया उचित स्तर पर विचाराधीन थी।

---

8 अधिक सहारे का अर्थ है एक गहन समर्थन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अन्यथा, जिसकी आवश्यकता संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्ति को दैनिक गतिविधियों (जैसे ब्रश करना, कंघी करना, कपड़े पहनना, स्वच्छ शौचालय, आदि) स्वतंत्र रूप से करने और सुविधाओं का उपयोग करने का निर्णय सूचित करने के लिये हो सकती हैं और शिक्षा, रोजगार, परिवार और सामुदायिक जीवन तथा उपचार और चिकित्सा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेना।

9 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशक, विशेष योग्यजन और विशेष योग्यजन या पंजीकृत राज्य स्तरीय संगठन के पांच सदस्य जो निर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.5.3 राज्य निधि का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 88 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा एक निधि का गठन किया जाना चाहिए जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि कहलाएगी। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 35 ने राज्य में दिव्यांगों के कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, निर्देशन, परामर्श और सामाजिक उत्थान आदि उद्देश्यों के लिए राज्य निधि के उपयोग को निर्दिष्ट किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम के अधिनियमन के चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी राज्य में सितम्बर 2022 तक विशेष योग्यजनों के लिए राज्य निधि का गठन नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि विशेष योग्यजनों के लिए आवंटित बजट ही राज्य निधि के रूप में माना गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विशेष प्रयोजन निधि का सृजन बजटीय आवंटन से पूर्णतया भिन्न है।

2.5.4 विशेष योग्यजनों के लिए राज्य आयुक्त

राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन का कार्यालय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के अंतर्गत राज्य में स्थापित किया गया था और इसे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के साथ-साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 के तहत प्रावधानों के कार्यान्वयन और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई थी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त को स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जांच करनी चाहिये और सुधारकारी कार्यवाही के लिये समुचित प्रधिकारियों के पास मामले को उठायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में प्रावधान हैं कि राज्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये प्रयोजन के लिये विशेष योग्यजनों के अधिकारों से वंचित करने से संबंधित वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय[10] की शक्तियाँ रखता है।

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य आयुक्त के न्यायालय में विशेष योग्यजनों को अधिकारों से वंचित करने से संबंधित 61 मामले[11] (स्वप्रेरणा के आधार पर एक मामले सहित) दर्ज किए गए, जिनमें से 57 मामले निर्णित हुए (2016-21 के दौरान) और अनुपालन के लिए संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए।

10 जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक अदालत में निहित है।

11 61 मामले: 2016-17: 11; 2017-18: 20; 2018-19: 08; 2019-20: 18 और 2020-21: 4

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि राज्य आयुक्त के कार्यालय में पीड़ित विशेष योग्यजनों की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था।

उपायुक्त, विशेष योग्यजन ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (अगस्त 2021) कि यदि पीड़ित याचिकाकर्ता अपनी शिकायत पर समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह पुनः अपील प्रस्तुत करता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है और शिकायतों के अभिलेख तकनीकी कर्मचारी की अनुपलब्धता के कारण तैयार नहीं किए गये थे।

2.5.5 राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 66 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को विभाग[12] के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर एक राज्य सलाहकार बोर्ड (रासबो) का गठन करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि अधिनियम के कार्यान्वयन के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक यह महत्वपूर्ण तंत्र गठित नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

अनुच्छेद 2.5.1 से 2.5.5 में बताये गए मुद्दे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र की स्थापना में गंभीर कमियों को इंगित करते हैं। इसने राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के दोषपूर्ण कार्यान्वयन में योगदान दिया है, जिससे राज्य की 2.28 प्रतिशत आबादी उनके कानूनी अधिकारों और लाभों से वंचित रही।

अनुशंसा 3: *राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती है।*

12 और इसमें विभिन्न विभागों के शासन सचिवों, राज्य विधानमंडल के तीन सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित किए गये 23 सदस्य भी शामिल हैं।

अध्याय–III

सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास

अध्याय-III

सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास

सामाजिक सुरक्षा घेरे के तहत विशेष योग्यजनों का अपर्याप्त क्षेत्र इस तथ्य से स्पष्ट था कि 15.64 लाख में से केवल 5.77 लाख (36.89 प्रतिशत) विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता पेंशन प्रदान की जा रही थी। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जोड़े गए विशेष योग्यजनों की 14 श्रेणियों को अत्यधिक देरी से पेंशन का लाभ दिया गया था।

सभी जिलों में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित नहीं किये जाने के कारण पुनर्वास सेवा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। राज्य में बौद्धिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों के लिए मानसिक विमंदित गृह पर्याप्त नहीं थे और संचालित मानसिक विमंदित गृह मानव संसाधनों की गैर/कम तैनाती जैसी कमियों से ग्रस्त थे।

विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना और संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत आय प्रमाण-पत्र, विवाह कार्ड, मूल निवास, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अंग एवं उपकरणों की प्राप्ति जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना विशेष योग्यजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत 34 प्रतिशत मामलों का निपटारा विलंब से किया गया। विभाग द्वारा संयुक्त सहायता अनुदान योजना, एडीआईपी योजना, एलिम्को और गैर सरकारी संगठनों और सांसद स्थानीय क्षेत्र/विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के माध्यम से विशेष योग्यजनों को उपलब्ध कराये गये अंग और उपकरणों के अभिलेख नहीं रखे गये थे। राज्य में विशेष योग्यजनों के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं की गई थी क्योंकि किसी भी लाभार्थी को ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज में विशेष छूट प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा, पूर्ण ऋण के वास्तविक संवितरण को सुनिश्चित किए बिना अनुदान जारी किया गया था और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों को अनुदान का अनियमित वितरण किया गया था। जिलों में विभाग के भवनों को विशेष योग्यजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाने के प्रयास अपर्याप्त थे।

3.1 सामाजिक सुरक्षा

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 24 (1) में प्रावधित है कि सरकार उचित जीवन स्तर के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेगी ताकि वे स्वतंत्र या समुदाय में रह सकें। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।

राज्य में क्रियान्वित की जा रही 12 योजनाओं में उपलब्ध लाभों एवं अधिकारों का विवरण तथा उनकी पात्रता के मानदंड ***परिशिष्ट-II*** में दिए गए हैं।

3.1.1 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 24 (3) दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दिव्यांगता पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना (सीएमडीपीएस)[13] और केंद्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)[14] लागू की जा रही है। दोनों पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा *राजएसएसपी* पोर्टल[15] के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2021-जनवरी 2022) में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां पाई गईः

(i) ***पेंशन का क्षेत्रः*** 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15.64 लाख दिव्यांग व्यक्ति थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसमें से केवल 5.77 लाख[16] विशेष योग्यजनों (36.89 प्रतिशत) को मार्च 2021 तक दिव्यांगता पेंशन मिल रही थी।

उपनिदेशक, विशेष योग्यजन ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2022) और अवगत कराया कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन पेंशन के लिए पात्र थे और वर्तमान में राज्य में 6.50 लाख विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सभी विशेष योग्यजन व्यक्ति, चाहे वे 40 प्रतिशत

---

13 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजनाः इस योजना में 58 वर्ष (पुरुष)/55 वर्ष (महिला) से कम आयु के विशेष योग्यजनों को ₹ 750 प्रति माह; जो 58 वर्ष (पुरुष)/55 वर्ष (महिला) की आयु प्राप्त करता है लेकिन 75 वर्ष से कम हैं ₹ 1,000 प्रति माह और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजनों के लिए ₹ 1,250 प्रति माह पेंशन के भुगतान करने की परिकल्पना की गई है।

14 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाः इस योजना में विशेष योग्यजनों (राजस्थान के निवासी) जो 18 वर्ष से अधिक लेकिन 58 वर्ष (पुरुष)/55 वर्ष (महिला) से कम है को ₹ 750 प्रति माह; जो 58 वर्ष (पुरुष)/55 वर्ष (महिला) की आयु प्राप्त करता है लेकिन 75 वर्ष से कम हैं ₹ 1,000 प्रति माह और जो 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजनों के लिए ₹ 1,250 प्रति माह पेंशन का भुगतान करने की परिकल्पना की गई है भारत सरकार 80 वर्ष की आयु तक प्रति विशेष योग्यजन ₹ 300 प्रति माह और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹ 500 प्रति माह तक प्रतिपूर्ति करता है।

15 *राजएसएसपी* पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित (02 अक्टूबर 2017) किया गया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग लिया जाता है।

16 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना : 5.51 लाख और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय *निःशक्त* पेंशन योजना : 0.26 लाख।

या उससे कम दिव्यांगता से पीड़ित हों, जनगणना में शामिल थे, जबकि पेंशन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित लोगों को ही प्रदान की जानी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय सूचना में दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के आधार पर की गई थी। उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखे जाने की आवश्यकता है कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए राज्य में विभिन्न स्तरों पर तीन लाख से अधिक आवेदन लंबित थे (विवरण अनुच्छेद 4.1 में), जिसका समय पर निपटान अनेक विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बना सकता था।

(ii) ***आवेदनों की स्थिति:*** लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान पेंशन के लिए विशेष योग्यजनों से 4.84 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से, 0.74 लाख आवेदन दिसंबर 2021 तक नौ महीने से तीन साल[17] से अधिक समय से लंबित थे। विभाग द्वारा अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक की अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। विभाग द्वारा आवेदनों के लम्बित होने का कारण भी उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2022)।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि विभागीय इकाइयों से सूचना प्राप्त करने के बाद सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

3.1.2 अतिरिक्त श्रेणियों को पेंशन लाभ

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 24 दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दिव्यांगता पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में दिव्यांगों की सात श्रेणियां शामिल थी, जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (यग) में दिव्यांगों की 21 श्रेणियां निर्दिष्ट थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2021) कि शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अक्टूबर 2021 में, अधिनियम के कार्यान्वयन के चार साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद, दिव्यांगों की अतिरिक्त श्रेणियों के लिए पेंशन लाभ का विस्तार करने का आदेश जारी किया गया।

17 2,001 आवेदन तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित थे, 31,576 आवेदन एक से तीन वर्ष तक के लिये और 40,475 आवेदन एक वर्ष तक के लिए लंबित थे।

3.1.3 आस्था कार्ड धारकों को सुविधाएं

आस्था योजना का उद्देश्य दो या दो से अधिक सदस्यों वाले दिव्यांग परिवारों के वित्तीय तनाव को कम करना था। अधिसूचित परिवारों को निदेशालय, विशेष योग्यजन से एक 'आस्था कार्ड' प्राप्त होना था। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को लाभ प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं को आस्था कार्ड वाले परिवारों को समान लाभ देना था।

मार्च 2021 तक, निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा 17,786 कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों को संबंधित परिवारों को वितरण के लिए जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2021-जनवरी 2022) कि तीन नमूना जांच किए गए जिलों[18] में, 2016-21 के दौरान जिला कार्यालयों में वितरण के लिए 1,037 आस्था कार्ड[19] प्राप्त हुए थे, जिनमें से 508 आस्था कार्ड[20] (48.99 प्रतिशत) नौ से 17 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी वितरित नहीं किए गए थे।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि सभी नमूना जांच किए गए आठ जिलों में लाभार्थियों को आस्था कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। तथापि, इस दावे के समर्थन में पुष्टिकारक साक्ष्य तथा विलम्ब के कारणों को विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2022)।

3.2 विशेष योग्यजनों का पुनर्वास

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान था कि सरकार को सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्रों में पुनर्वास के कार्यक्रम प्रारम्भ करने थे। पुनर्वास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्ति अपने शारीरिक, सामाजिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण के सभी पहलुओं में कार्य करने का सर्वोत्तम संभव स्तर प्राप्त कर सके।

3.2.1 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए जागरूकता पैदा करने, पुनर्वास, प्रशिक्षण और पुनर्वास पेशेवरों के मार्गदर्शन के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए

18 बाड़मेर, टोंक, बीकानेर।

19 1,037 कार्ड: (बाड़मेर: 289, टोंक: 413 और बीकानेर: 335)।

20 508 कार्ड: (बाड़मेर: 270, टोंक: 109 और बीकानेर: 129)।

जाने वाले जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र[21] की स्थापना को प्रायोजित किया और दिव्यांगजनों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से जिला प्रबंधन दल[22] द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिए अनुमोदित 17 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों[23] (1999) के विरुद्ध मार्च 2021 तक केवल तीन जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र[24] कार्यरत थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया था (नवंबर 2019) लेकिन मार्च 2021 तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई। तीन क्रियाशील जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों में, लेखापरीक्षा में पाया गया (सितंबर 2021) कि जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र उदयपुर में, 2016-21 के दौरान अनिवार्य 20 बैठकों के विरुद्ध जिला प्रबंधन दल की केवल एक बैठक (2017) आयोजित हुई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि 2020-21 में भारत सरकार को छह जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे गए थे और 2021-22 में तीन जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे और इन प्रकरणों में भारत सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षित था।

3.2.2 मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों का प्रबंधन

मानसिक विमंदित (मावि) पुनर्वास गृहों की स्थापना, मानसिक विमंदित व्यक्तियों को भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधाओं आदि के प्रावधान के साथ आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। राजस्थान सरकार ने जामडोली, जयपुर में 250 व्यक्तियों[25] के लिए आवासीय सुविधा वाले एक मानसिक विमंदित गृह[26] की स्थापना (1983) में की गई। यह मानसिक विमंदित गृह निदेशालय, विशेष योग्यजन की देखरेख और नियंत्रण में संचालित है। इसके अलावा, राजस्थान के 26 जिलों में मार्च 2021 तक गैर सरकारी संगठनों द्वारा 2,100 विशेष योग्यजन व्यक्तियों की प्रवेश क्षमता वाले 35 मानसिक विमंदित गृह संचालित किए जा रहे थे।

---

21 भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित।

22 जिला कलेक्टर के नेतृत्व में।

23 अजमेर, जोधपुर, टोंक, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर और बांसवाड़ा।

24 उदयपुर, जालौर, चित्तौड़गढ़।

25 बालकः 125 और महिलाएंः 125

26 राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह।

राजकीय मानसिक विमंदित गृह जामडोली और नमूना जांच किए गए आठ जिलों में चयनित आठ मानसिक विमंदित गृहों (गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित) के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2021-जनवरी 2022) में निम्नलिखित का पता चलाः

(i) मानसिक विमंदित गृहों की स्थापना

वर्ष 2010-14 के दौरान की गई मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार, सभी जिलों[27] में 50-250 मानसिक विमंदित विशेष योग्यजन व्यक्तियों की प्रवेश क्षमता वाले मानसिक विमंदित गृह स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि राज्य के सभी जिलों को सम्मिलित करते हुए 2015-16 तक गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 42 मानसिक विमंदित गृह स्थापित किए गए थे। हालांकि, 2016-19 के दौरान, इनमें से सात मानसिक विमंदित गृह बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण मार्च 2021 तक राज्य के सात जिलों[28] में कोई भी मानसिक विमंदित गृह संचालित नहीं था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि राज्य में 2,275 विशेष योग्यजन व्यक्तियों की क्षमता के 38 मानसिक विमंदित गृह संचालित थे (नवम्बर 2022)। आगे यह अवगत कराया गया कि गृहों के निरीक्षण के दौरान कुछ मानसिक विमंदित गृहों में अनियमितताओं या लाभार्थियों की कमी के कारण बंद कर दिए गए थे।

सरकार के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखे जाने की आवश्यकता है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित तीन मानसिक विमंदित गृहों[29] में 350 की कुल निर्दिष्ट क्षमता के विरुद्ध 523 आवासित थे और राजकीय मानसिक विमंदित गृह, जामडोली (जयपुर) में 250 की क्षमता के विरुद्ध 323 आवासित थे। आगे, आशाधाम आश्रम सोसाइटी (मावि गृह), उदयपुर में विशेष योग्यजनों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था, जैसा कि नीचे दिए गए छायाचित्रों में दिखाया गया हैः

---

27 बजट घोषणाएं 2010-11: जयपुर और जोधपुर के प्रत्येक मानसिक विमंदित गृह में 250 की क्षमता के साथ, 2011-12: अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर के प्रत्येक मानसिक विमंदित गृह में 50 की क्षमता के साथ, 2012-13: बारां, बाड़मेर, चुरू, जालौर, पाली, राजसमंद, टोंक, झालावाड़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ और सीकर के प्रत्येक मानसिक विमंदित गृह में 50 की क्षमता के साथ, 2013-14: अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ के प्रत्येक मानसिक विमंदित गृह में 50 की क्षमता के साथ।

28 सात मानसिक विमंदित गृह (2016-17: भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, राजसमंद, हनुमानगढ़, 2017-18: धौलपुर और 2018-19: दौसा)।

29 (i) आशाधाम आश्रम सोसाइटी, उदयपुर (ii) माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, कोटा और (iii) सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर), बाड़मेर।

आशाधाम आश्रम सोसाइटी, उदयपुर में स्थान और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण मानसिक विमंदित विशेष योग्यजन गैलरी में बैठे और फर्श पर सो रहे हैं (7 सितंबर 2021)।

लेखापरीक्षा का विचार है कि कुछ विशेष योग्यजन व्यक्तियों को कम संख्या वाले मानसिक विमंदित गृहों में स्थानांतरित किया जा सकता था, जिससे न केवल भीड़भाड़ वाले मानसिक विमंदित गृहों में बेहतर रहने की स्थिति पैदा होती, बल्कि और अधिक जिलों में मानसिक विमंदित गृह संचालित हो सकते थे।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि राजकीय मानसिक विमंदित गृहों में 125 बालकों के लिए पृथक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आगे अवगत कराया गया कि आशाधाम आश्रम सोसाइटी का नया भवन निर्माणाधीन है और नए भवन का काम पूरा होने के बाद अतिरिक्त लाभार्थियों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(ii) मानसिक विमंदित गृहों में मानव संसाधन

(अ) राजकीय मानसिक विमंदित गृह जामडोली: 2016-21 की अवधि के दौरान बालक विंग में रिक्तियां 33.93 प्रतिशत से 60.71 प्रतिशत और महिला विंग में 57.89 प्रतिशत से 66.67 प्रतिशत के बीच थी। यह पाया गया कि स्वीकृत पदों के विरूद्ध, कुछ महत्वपूर्ण पद जैसे थेरेपिस्ट, शिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट आदि के पद 2016-21 की अवधि के दौरान रिक्त[30] थे।

(ब) गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृहः राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानकों के विरुद्ध, सभी चयनित आठ मानसिक विमंदित गृहों में मार्च 2021 को

30 बालक विंग में काउंसलर जूनियर स्पेशलिस्ट-1, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट-1, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट-1, विशेष शिक्षक-9 के पद मार्च/अप्रैल 2016 से लगातार रिक्त थे। इसी तरह महिला विंग में मनोचिकित्सक कनिष्ठ विशेषज्ञ-1, वोकेशनल थेरेपिस्ट-1, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट-1, विशेष शिक्षक-10, छात्रावास अधीक्षक-16 के पद मार्च 2016 से लगातार रिक्त थे।

चिकित्सा कर्मचारियों सहित मानव संसाधन की कमी, स्वीकृत संख्या[31] के विरुद्ध 11.90 प्रतिशत से 71.23 प्रतिशत के बीच देखी गई।

2016-21 के दौरान राजकीय मानसिक विमंदित गृह और मार्च 2021 को गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृहों में पदस्थापित मानव संसाधन की स्वीकृत और कार्यरत का विवरण ***परिशिष्ट III (अ) और (ब)*** में उपलब्ध कराया गया है।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि राजकीय मानसिक विमंदित गृह में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशालय, विशेष योग्यजन और अन्य विभागों के साथ नियमित पत्राचार किया गया था। गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह के लिए संबंधित जिला अधिकारी को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मानसिक विमंदित गृहों में भारी रिक्तियां मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

अनुशंसा 4: *राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह स्थापित कर सकती है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है।*

(iii) मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

राजस्थान मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालन नियम, 2015 के नियम 5 (3) के अनुसार, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संबंधित विशेष योग्यजन की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाएगा और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के मामले में विशेष योग्यजनों के लिए गैर सरकारी संगठन को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यह भी अनिवार्य किया गया था कि अनुदान प्राप्त करने वाला गैर सरकारी संगठन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मानसिक विमंदित गृह में प्रवेश के तीन दिवसों के भीतर मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2021-जनवरी 2022) में पाया गया कि मानसिक विमंदित गृहों में प्रवेशित मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

31 राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (सितम्बर 2011) के अनुसारः 50 विशेष योग्यजनों की आवास क्षमता वाले मानसिक विमंदित गृहों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा परियोजना पर्यवेक्षक-1; केयर टेकर (तीन पारियों के लिए 3); रसोइया-2; अटेंडेंट (तीन पारियों के लिए 15); अंशकालिक चिकित्सक-1; नर्स-6 और चौकीदार-3 को पदस्थापित किया जाना चाहिए।

राजकीय मानसिक विमंदित गृह जामडोली: मार्च 2021 को 323 विशेष योग्यजनों में से केवल 28 विशेष योग्यजनों [32] (8.66 प्रतिशत) के पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र थे।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह: मार्च 2021 तक 828 विशेष योग्यजनों में से केवल 584 विशेष योग्यजनों (70.53 प्रतिशत) के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध थे।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि विशेष योग्यजनों को प्रथम दृष्टया दिव्यांगता के आधार पर प्रवेश दिया गया था और उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी। इसमें आगे अवगत कराया गया कि राजकीय मानसिक विमंदित गृह में 44 विशेष योग्यजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं और प्रवेशित किए गए आवासियों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

राजस्थान मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालन नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत मानसिक विमंदित गृहों में प्रवेशित सभी मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने से मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित और रखरखाव करने में मदद मिलेगी और कल्याणकारी गतिविधियों और उनसे संबंधित योजनाओं की आयोजना और निष्पादन करने में उन्हें सभी आवश्यक लाभ प्रदान करने और एक सहयोग के रूप में काम करने में मदद मिलेगी।

3.3 विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ योजनाएं

3.3.1 विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना

राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों को उनके विवाह के समय सहायता प्रदान करने के लिए *'सुखद दाम्पत्य जीवन योजना'* शुरू (1997) की। इस योजना के तहत, विशेष योग्यजनों[33] को विवाह के बाद वित्तीय सहायता[34] प्रदान की जानी थी। लाभ प्राप्त करने के लिए, विशेष योग्यजनों को सहायता के लिए अपना आवेदन विवाह की तारीख से छह महीने के अन्दर विवाह प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र और आय प्रमाण-पत्र इत्यादि जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना आवश्यक था। प्रमाणित दस्तावेज को आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर संबंधित

---

32 बालकः 9 और महिलाएंः 19

33 शर्तः आय सीमा ₹ 0.50 लाख प्रति वर्ष और उसके बाद 10 मई 2018 से विशेष योग्यजनों के अभिभावक/माता-पिता की आय सीमा ₹ 2.50 लाख प्रति वर्ष संशोधित की गई।

34 मई 2017 तक ₹ 25,000 और उसके बाद ₹ 50,000

कर्मचारी द्वारा सत्यापित और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना था। यह योजना जिला कार्यालयों के स्तर पर (अप्रैल 2018 तक) और उसके बाद ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों में लागू की गई थी।

वर्ष 2016-21 के दौरान नमूना जांच किये गये आठ जिलों में स्वीकृत 369 आवेदनों[35] में से लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021-जनवरी 2022) 205 स्वीकृत आवेदनों[36] का विश्लेषण किया। यह देखा गया कि आवेदन में आवश्यक दस्तावेजों जैसे आय प्रमाण-पत्र (15 मामलों में), विवाह कार्ड (35 मामलों में) और निवास प्रमाण-पत्र (22 मामलों में) के बिना स्वीकृत किए गए थे। इन मामलों में अपात्र व्यक्तियों को सहायता के विचलन के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

70 मामलों (34 प्रतिशत) में, आवेदनों के निपटान में 733 दिनों[37] तक का विलम्ब था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2022) कि इस मामले में रिपोर्ट भेजने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं और तदनुसार उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

3.3.2 संयुक्त सहायता अनुदान योजना

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अनुसार, विशेष योग्यजनों के पुनर्वास हेतु सभी विशेष योग्यजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तीन वर्ष के अन्दर अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाने थे। इन उपकरणों में बैसाखी, कृत्रिम पैर, ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि शामिल थे।

राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों को अंग और उपकरणों की खरीद और स्वरोजगार के लिए ₹ 7,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त सहायता अनुदान योजना लागू (जनवरी 2016) की इस राशि को मई 2017 में संशोधित कर ₹10,000 कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने निदेशालय, विशेष योग्यजन तथा नमूना जांच किये गये आठ जिला कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2021-जनवरी 2022) के दौरान योजना के क्रियान्वयन में कमियां पाई गई।

---

35 जिला कार्यालयः 303 मामले और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयः 66 मामले

36 जिला कार्यालयः 139 मामले और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयः 66 मामले

37 तीन महीने के अंतराल से गणना की गई जिसके अन्दर नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार आवेदन को प्रोसेस करने की आवश्यकता थी।

(अ) आठ नमूना जांच किए गए जिलों में 252 स्वीकृत आवेदनों[38] की नमूना जांच में पाया गया कि प्रपत्रों के सत्यापन के साथ-साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा आय प्रमाण-पत्र का अभाव (203 मामले), चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति का अभाव (174 मामले) और लाभार्थियों से अंग और उपकरणों की प्राप्ति की पावती का अभाव (166 मामले) जैसी अनियमितताओं के बावजूद आवेदन स्वीकार किए गए थे। इन मामलों में, अपात्र व्यक्तियों को सहायता के विचलन के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ब) खरीद के दो से तीन वर्षों के बाद भी, चार जिलों कार्यालयों में 212 अंग और उपकरण[39] जिला कार्यालयों के भंडार कक्ष/छात्रावास/खुले क्षेत्र में पड़े थे, जैसा कि निम्नलिखित छायाचित्रों में दिखाया गया है:

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय कोटा के स्टोर रूम में बंद बक्सों में अनुपयोगी पड़े अंग और उपकरण (24 सितंबर 2021)।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय सवाईमाधोपुर के खुले क्षेत्र में अनुपयोगी पड़ी ट्राईसाइकिल (स्क्रैप स्थिति में) (20 अक्टूबर 2021)।

38 252 आवेदनः जोधपुर (43); बीकानेर (36); कोटा (60); डूंगरपुर (38); बाड़मेर (50) और उदयपुर (25)।

39 212 अंग और उपकरणः (कोटाः 16; सवाईमाधोपुरः 65; जोधपुरः 25 और बीकानेरः 106)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विशेष योग्यजनों को अंग और उपकरण राजस्थान सरकार की संयुक्त सहायता अनुदान योजना, भारत सरकार की एडीआईपी योजना[40], भारत सरकार के एलिम्को[41] और गैर-सरकारी संगठनों और सांसद स्थानीय क्षेत्र/विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के माध्यम से वितरित किए जा रहे थे। हालांकि, विभाग द्वारा इन योजनाओं/एजेंसियों के माध्यम से विशेष योग्यजनों को उपलब्ध कराये गये अंग और उपकरणों का एक समेकित अभिलेख, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/आधार/जन-आधार[42] से जुड़ा संधारित नहीं था। इस तरह की जानकारी का रखरखाव उपलब्ध कराई गई सहायता की जानकारी रखने में मदद करेगा और सहायता के दोहराव को रोकेगा और वास्तव में वंचित विशेष योग्यजनों की पहचान करेगा।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि शिविरों में अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे और आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और आवेदनों में कमियों को दूर किया जा रहा है।

3.3.3 विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार ऋण

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऐसे विशेष योग्यजनों, जिनके माता-पिता/अभिभावक और स्वयं की आय ₹ 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं हों, को ₹ 5.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाना था। सरकार को ₹ 50,000 या ऋण की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, का अनुदान उपलब्ध कराना था। दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण की समय पर अदायगी करने पर ब्याज दर में पाँच प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ दिया जाना था।

निदेशालय विशेष योग्यजन और चयनित आठ जिलों के उप निदेशक/सहायक निदेशक के अभिलेखों की नमूना जांच में योजना के कार्यान्वयन में कई कमियां पाई गईं।

(i) वर्ष 2016-21 के दौरान नमूना जांच किये सभी जिलों में ऋण की किस्तें समय से चुकाने वाले विशेष योग्यजनों को पाँच प्रतिशत ब्याज दर की विशेष छूट का लाभ नहीं दिया गया।

(ii) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुदान की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला/खण्ड कार्यालयों द्वारा लाभार्थी को पूर्ण ऋण के वितरण

40 अंग और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता।

41 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

42 जन-आधार संख्या राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक परिवार और एक व्यक्ति की एकल/विशिष्ट पहचानकर्ता है।

के बाद बैंक को हस्तांतरित की जानी थी । यह पाया गया कि जिला/खण्ड कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 65 मामलों में पूर्ण ऋण के वास्तविक संवितरण को सुनिश्चित किये बिना, बैंक से प्राप्त पत्र के आधार पर बैंक को अनुदान (कुल ₹ 21.21 लाख) जारी की गई ।

(iii) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुदान की राशि दो किस्तों में वितरित की जानी थी अर्थात अनुदान की प्रथम किस्त ऋण की स्वीकृति के समय वितरित की जाएगी और बाद में द्वितीय किस्त प्रथम किस्त जारी होने के दो महीने के अन्दर वितरित की जाएगी। यह पाया गया कि मार्च 2021 तक 457 मामलों में अनुदान की द्वितीय किस्त का गैर संवितरण/विलंबित वितरण रहा । इन मामलों में अनुदान की पहली किस्त जारी होने की तारीख से दो से 36 महीने के बीच विलम्ब रहा था ।

(iv) योजना के तहत, 18 से 55 वर्ष की आयु के विशेष योग्यजनों को लाभ प्रदान किया जाना था । यह पाया गया कि ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी खंडार ने 10 प्रकरणों में अनुदान जारी किया जिनमें विशेष योग्यजन 55 वर्ष से अधिक आयु के थे, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 5.00 लाख अनियमित भुगतान हुआ ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि संबंधित जिला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं और जिला अधिकारियों से प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा । पांच प्रतिशत ब्याज दर में विशेष छूट के लिए बैंकों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अनुशंसा 5: *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विशेष योग्यजन के लिए निर्धारित लाभों का अपात्र व्यक्तियों को विचलन न हों । अपात्र व्यक्ति को लाभ के विचलन के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती हैं ।*

3.3.4 एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन/सुगम्य भारत अभियान

विशेष योग्यजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने और एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान शुरू किया (दिसंबर 2015)। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिये (मई 2016) कि वे अपने सभी भवनों में दिव्यांगजनों के लिए रैम्प, विशेष शौचालय तथा व्हील चेयर की व्यवस्था करें ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है कि सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को नियमों की अधिसूचना की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अन्दर सुगम्य[43] बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले अपने सभी भवनों और स्थानों में पहुंच प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक कार्य योजना तैयार और प्रकाशित करनी चाहिए।

(i) आठ नमूना जांच किए गए जिलों में, लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2021-जनवरी 2022) कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय भी विशेष योग्यजनों के लिए पूरी तरह से सुगम्य नहीं थे क्योंकि रैंप, रेलिंग और सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं किया गया था जिसके कारण विशेष योग्यजनों को सुगम्यता समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जैसा कि निम्नलिखित छायाचित्रों में दिखाया गया हैं:

जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय उदयपुर में सीढ़ियां चढ़ता विशेष योग्यजन (1 सितंबर 2021) और जिला कार्यालय कोटा में बिना रैम्प व व्हीलचेयर के विशेष योग्यजन को हो रही परेशानी (24 सितंबर 2021)।

(ii) लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए आठ जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम[44], राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के कार्यालयों और रोजगार विभाग के आठ क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों में सुगम्यता की जाँच की गई। संबंधित विभागों[45] ने अवगत कराया कि विशेष योग्यजनों की आसान पहुंच के लिए केवल रैंप का निर्माण किया गया था। हालांकि, अन्य सुविधाएं जैसे सुलभ शौचालय, व्हीलचेयर, साइनेज इत्यादि, इन भवनों में योजना के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक रूप से उपलब्ध नहीं थे।

43 सुगम्य का अर्थ है कि दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी अनुचित कठिनाइयों या बाहरी सहायता के पहुंच सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, पास कर सकते हैं और निर्मित वातावरण का उपयोग कर सकते हैं।

44 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम।

45 चार विभाग: (आठ नमूना जांच किए गए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड और रोजगार विभाग के आठ क्षेत्रीय/जिला कार्यालय)।

(iii) आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (अगस्त 2021) के विश्लेषण से पता चला कि राज्य के 328 राजकीय महाविद्यालयों में से 53, 63 और 251 कॉलेजों में क्रमशः रैंप, विशेष शौचालय और व्हीलचेयर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2022) कि राजकीय महाविद्यालयों को रैम्प के निर्माण, विशेष शौचालय एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था हेतु प्रावधान करने के निर्देश दिये गये थे।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने राज्य में भवनों की सुगम्यता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गये। जिससे सार्वजनिक जीवन में विशेष योग्यजनों के समावेश और भागीदारी बाधित हो रही हैं।

3.4 योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 48 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को दिव्यांगजन से जुड़ी समस्त सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं और कार्यक्रमों का दिव्यांगजन की आवश्यकता और अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

यह देखा गया कि निदेशालय, विशेष योग्यजन ने राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन को सूचित किया (सितंबर 2021) कि महालेखाकार कार्यालय ने दिव्यांगजनों के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की समय-समय पर लेखापरीक्षा की।

यह सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा की समझ और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत आवश्यकता की स्पष्ट कमी को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निर्देश/अन्य डाटा को विभागीय पोर्टल/जन सूचना[46] पोर्टल पर जनता के लिए सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रदर्शित किया गया तथा आवश्यक सुझाव प्राप्त होने पर आवश्यक सुधार किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूचना का प्रावधान सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

अनुशंसा 6: *राज्य सरकार समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण कर सकती है जिससे उन्हें प्रगति की निगरानी करने के साथ-साथ विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सुधार करने में मदद मिलेगी।*

46 जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 2019 में योजनाओं और उनके लाभार्थियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी।

अध्याय–IV

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करना और विशेष योग्यजनों का कल्याण

अध्याय-IV

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना और विशेष योग्यजनों का कल्याण

सवाईमाधोपुर और उदयपुर जिलों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तरों पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित थे।

विशेष योग्यजन साक्षरता दर (40.16 प्रतिशत) में राजस्थान नीचे से दूसरे स्थान (35 में से 34 वां स्थान) पर था। स्कूली शिक्षा के लिए नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 2016-17 में 1.07 लाख से घटकर 2020-21 में 0.75 लाख हो गए, जो 30 प्रतिशत की कमी है। आवश्यक मानव संसाधन की कमी थी जैसे राजकीय विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के पद (38.10 प्रतिशत) तथा संसाधन केन्द्रों पर 357 संसाधन व्यक्तियों के पद (56.22 प्रतिशत) रिक्त थे।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों में विशेष योग्यजनों के लिए स्पीच थेरेपिस्ट/ऑडियोलॉजिस्ट/फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति नहीं पाई गई। निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण/प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण में अत्यधिक विलंब हुआ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) प्रावधित करती है कि "दिव्यांग व्यक्ति" से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रूकावट उत्पन्न होती है इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) प्रावधित करती हैं कि संदर्भित दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान करता है और उन उपायों का प्रावधान करता है जो सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को समावेशी शिक्षा की प्रणाली को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। अधिनियम बाध्य करता है कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को बिना किसी भेदभाव के इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

4.1 विशेष योग्यजनों की पहचान और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना

दिव्यांगजनों के सभी अधिकार और हक़दारियां तथा भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के लाभ संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, जिसके लिए प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी एक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)[47], जो पूरे देश में मान्य है, जारी करने की प्रक्रिया के चरण **चार्ट 2** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2: दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

(i) लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई-अगस्त 2021) में पाया गया कि राजस्थान में, 2011 की जनगणना में 15.64 लाख विशेष योग्यजनों की पहचान की गई थी, जिसके विरुद्ध मार्च 2021 तक 11.17 लाख (71.42 प्रतिशत) पंजीकृत किए गए थे। आठ नमूना जांच किए गए जिलों में इस संबंध में स्थिति नीचे **तालिका 1** में दर्शायी गयी है:

---

47 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक विशेष योग्यजन को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से यूडीआईडी परियोजना को लागू किया।

तालिका 1

नमूना जांच किये गये जिले	2011 की जनगणना के अनुसार विशेष योग्यजनों की संख्या	जिले में पंजीकरण की संख्या	कमी *(प्रतिशत)*
बाड़मेर	56,183	32,617	23,566 *(41.94)*
बीकानेर	37,898	32,421	5,477 *(14.45)*
डूंगरपुर	33,774	18,847	14,927 *(44.19)*
जोधपुर	91,730	57,286	34,444 *(37.55)*
कोटा	44,859	33,939	10,920 *(24.34)*
सवाईमाधोपुर	32,563	15,345	17,218 *(52.87)*
टोंक	40,510	23,745	16,765 *(41.38)*
उदयपुर	82,270	25,296	56,974 *(69.25)*

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि सवाईमाधोपुर और उदयपुर जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी। जबकि राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया गया था, जैसा कि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के निर्देश (नवंबर 2017) में 50 प्रतिशत से कम पंजीकरण वाले जिलों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए थे, विभाग द्वारा इस संबंध में बहुत कम ध्यान दिया गया था। क्योंकि वर्ष 2017-18 में आयोजित 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर' अभियान के बाद राज्य में कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया।

(ii) इसके अलावा, अभिलेखों की जांच और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के विश्लेषण से पता चला कि विभाग के पास पंजीकृत आवेदनों के निस्तारण में महत्वपूर्ण विलम्ब रहा। 2017-21 के दौरान दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पंजीकृत आवेदनों, जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों, अस्वीकृत आवेदनों और लंबित आवेदनों का विवरण नीचे **तालिका 2** में दिया गया है:

तालिका 2

वर्ष	पंजीकृत आवेदन	जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	अस्वीकृत आवेदन	निदान के लिए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा महाविद्यालय/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास लंबित
2017-18[48]	9,54,850	2,42,489	सूचना उपलब्ध नहीं है	5,46,041
2018-19	10,12,969	3,17,606	1,11,846	4,46,566
2019-20	10,64,540	3,58,943	1,23,435	4,10,362
2020-21	11,17,160	3,94,496	1,32,054	3,05,557

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना। तालिका में आंकड़े प्रगतिशील आंकड़े हैं।

48 21 मार्च 2018 की स्थिति।

विभाग द्वारा 2016-17 से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई (जुलाई 2021-जनवरी 2022)।

तालिका से देखा जा सकता है कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पंजीकृत 11,17,160 आवेदनों में से, मार्च 2021 तक 1,32,054 आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। शेष 9,85,106 आवेदनों में से, राज्य में विशेष योग्यजनों को केवल 3,94,496 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40.05 प्रतिशत) जारी किए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3,05,557 आवेदन (31.01 प्रतिशत) ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (1,72,710), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (36,351), चिकित्सा महाविद्यालय (94,232) और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (2,264) के पास निदान के लिए लम्बित थे, जिसके कारण उन्हें दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संसाधित नहीं किया जा सका। जबकि 2017-21 की अवधि के दौरान लम्बित आवेदन कम हुए, आवेदनों के निस्तारण की दर पर्याप्त नहीं थी जैसा कि मार्च 2021 तक महत्वपूर्ण लम्बित से परिलक्षित होता है। विभाग द्वारा जिन आवेदनों पर आपत्ति की गई थी, उनका विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि संबंधित आवेदकों को मोबाइल पर संदेश के माध्यम से सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने रुचि नहीं ली और इन आवेदनों को रोक कर रखा गया।

आवेदनों का समय पर संसाधन के अभाव में, बड़ी संख्या में विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सका और इस प्रकार वे लंबे समय तक विभिन्न लाभों से वंचित रहे।

अनुशंसा 7: *राज्य सरकार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विशेष योग्यजनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला सकती है और आवेदनों के निस्तारण के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा के संबंध में मानदंड निर्धारित कर सकती है।*

4.2 शिक्षा

दिव्यांगता औपचारिक शिक्षा में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है। विशेष योग्यजनों की शैक्षिक उपलब्धि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और सार्वजनिक जीवन में सम्मान के साथ उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

(i) शैक्षिक संस्थानों में विशेष योग्यजन बच्चों का नामांकन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रयास करेगी कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 अनिवार्य

करती है कि छह से 18 वर्ष तक के संदर्भित दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को उसकी पसंद के निकटवर्ती विद्यालय या किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई-अगस्त 2021) में पाया गया कि राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शैक्षिक लक्ष्य में महत्वपूर्ण कमी रही। 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 5-19 वर्ष के आयु वर्ग में 3,06,750 दिव्यांग बच्चे थे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (रास्कूशिप) ने राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन को सूचित किया (अगस्त 2021) कि सत्र 2020-21 के दौरान केवल 75,495 विशेष आवश्यकता वाले बच्चें (सीडब्ल्यूएसएन) विद्यालयों (निजी, राजकीय और सरकारी सहायता प्राप्त) में नामांकित किये गये थे। इससे पता चलता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की एक महत्वपूर्ण संख्या को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित नहीं किया गया है। वास्तव में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन में 2016-21 की अवधि के दौरान गिरावट आई है जैसा कि **चार्ट 3** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3: सत्र 2016-21 के दौरान विद्यालयों में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या

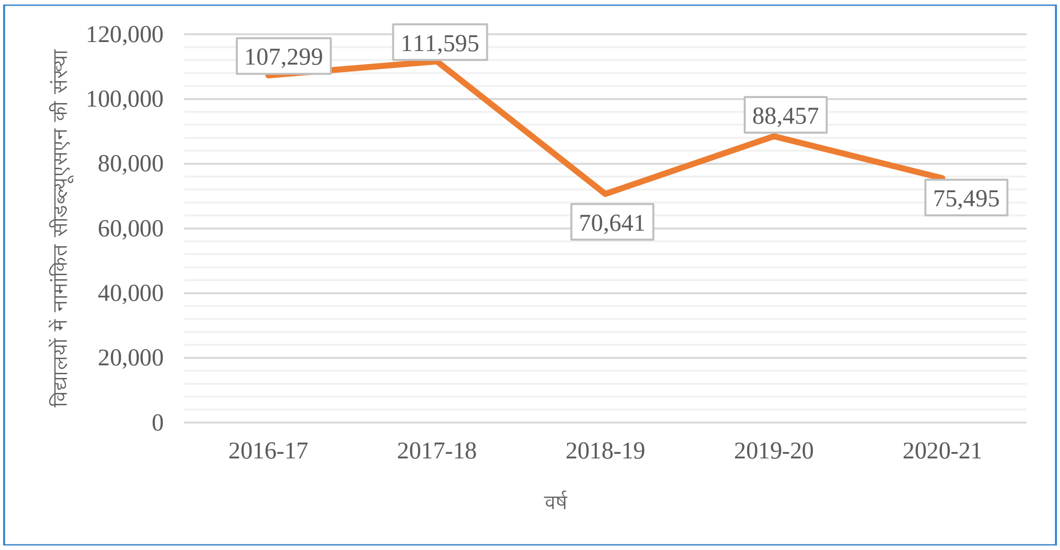

स्रोतः राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

चार्ट में दर्शाया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन 2016-17 में 1,07,299 से घटकर 2020-21 में 75,495 हो गया, जो 30 प्रतिशत की कमी है।

विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कम नामांकन के परिणामस्वरूप राज्य में विशेष योग्यजनों के बीच साक्षरता की स्थिति खराब हो गई है। प्रतिवेदन पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) इन इंडिया-ए स्टैटिकल प्रोफाइलः 2021 भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, के अनुसार राजस्थान को देश में विशेष योग्यजनों की साक्षरता दर (40.16 प्रतिशत) में दूसरा

सबसे कम (35 में से 34 वां स्थान) स्थान दिया गया था। राजस्थान में विशेष योग्यजनों के बीच साक्षरता **चार्ट 4** में दी गई है:

चार्ट 4: जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग के आधार पर विशेष योग्यजनों की साक्षरता स्थिति

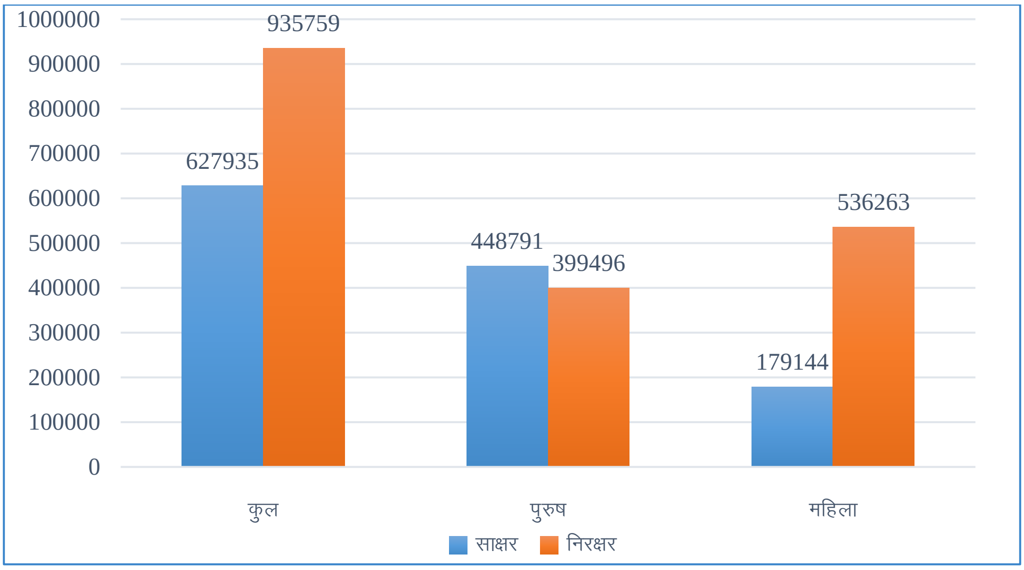

स्रोतः पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) इन इंडिया- ए स्टैटिकल प्रोफाइल 2021 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

चार्ट दर्शाता है कि राजस्थान में, 59.84 प्रतिशत विशेष योग्यजन साक्षर नहीं थे । इसके अलावा, महिला विशेष योग्यजन में, 74.96 प्रतिशत (5,36,263) साक्षर नहीं थे, की तुलना में 47.09 प्रतिशत (3,99,496) पुरुष विशेष योग्यजन जो निरक्षर थे ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि इस धारा के अनुपालन हेतु समावेशी शिक्षा अभियान के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है । इसके अलावा, विशेष योग्यजन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकते थे और विशेष योग्यजन को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से राज्य में 110 विशेष विद्यालय संचालित किये जा रहे थे ।

अनुशंसा 8: *राज्य सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर सकती है।*

(ii) शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि राज्य सरकार समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के उपाय करेगी जैसे विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिये सर्वेक्षण संचालित करना, संसाधन केंद्र और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और नियोजित करना आदि ।

यह देखा गया कि राज्य सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छः जिलों में विशेष शिक्षकों[49] वाले सात राजकीय विशेष विद्यालयों[50] का संचालन कर रही थी। इसके अलावा, राज्य के विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक शैक्षिक और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों के साथ राज्य में संसाधन केंद्र भी विकसित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2021-जनवरी 2022) में पाया गया कि इन विशेष विद्यालयों और संसाधन केंद्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। यह देखा गया किः

(अ) सत्र 2020-21 में 1131 विद्यार्थियों वाले 7 राजकीय विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत 105 पदों के विरुद्ध मात्र 65 शिक्षक (61.90 प्रतिशत) कार्यरत थे।

(ब) राज्य में संसाधन व्यक्तियों के 635 पदों[51] के विरूद्ध मार्च 2021 तक 357 पद (56.22 प्रतिशत) रिक्त थे। आठ नमूना जांच किए गए जिलों में, स्वीकृत 234 संसाधन व्यक्तियों के विरुद्ध, मार्च 2021 तक 149 पद (63.67 प्रतिशत) रिक्त थे, जिसमें टोंक में 22.22 प्रतिशत से लेकर उदयपुर में 92.16 प्रतिशत तक रिक्तियां थीं।

विशेष शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या के अभाव में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपेक्षित शैक्षिक और चिकित्सीय सहायता प्रदान नहीं की जा सकी।

4.3 विशेष योग्यजनों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली

राजस्थान में, मार्च 2021 तक 31 जिलों में 101 विशेष विद्यालय (आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालय) स्थापित किए गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को इन आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत/वास्तविक कर्मचारियों[52] (जो भी कम हो) के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार, राजस्थान सरकार गैर सरकारी संगठनों को आवासीय विद्यालयों में आवास कर रहे आवासियों के आधार पर भोजन भत्ता प्रदान करती हैं।

---

49 एक विशेष शिक्षक एक शिक्षक होता है जो सभी उम्र के बच्चों के साथ काम करता है जिनकी विशेष जरूरतें होती हैं चाहे वे संज्ञानात्मक, भावनात्मक या शारीरिक हों।

50 मूक-बधिर विद्यालयः 03 और नेत्रहीन विद्यालयः 04

51 जिला स्तरः 33 और खण्ड स्तरः 602

52 निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा गैर सरकारी संगठनों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यदि गैर सरकारी संगठन मानदंडों से कम पदस्थापित करता है, तो निदेशालय, विशेष योग्यजन गैर सरकारी संगठन को नियुक्त कर्मचारियों के अनुसार अनुदान जारी करता है।

4.3.1 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों को जारी अनुदान की शर्त के अनुसार, विशेष शिक्षकों को भारतीय पुनर्वास परिषद (भापुप) के मानदंडों के अनुसार योग्यताधारी होना चाहिए और विशेष शिक्षकों के उचित योग्यताधारी नहीं होने की स्थिति में, इन विशेष शिक्षकों को किये गये भुगतान की वसूली संस्था से किया जाना था। इसके अलावा, विभाग द्वारा शिक्षक विधार्थी अनुपात दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित विधार्थियों के विशेष विद्यालयों के लिए 1:15 और मानसिक विमंदित के विशेष विद्यालयों में 1:8 निर्धारित (2006 में) किया था।

आठ नमूना जांच किए गए जिलों में 11 गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2021-जनवरी 2022) में पाया गया कि:

(i) दो गैर सरकारी संगठनों[53] द्वारा चलाए जा रहे दो विशेष विद्यालयों में भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत विशेष शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया गया था। हालांकि, ये गैर सरकारी संगठन निदेशालय, विशेष योग्यजन से अनुदान प्राप्त कर रहे थे। इंगित किए जाने पर, दोनों गैर सरकारी संगठनों ने तथ्यों को स्वीकार किया। इनमें से, एक गैर सरकारी संगठन[54] ने अवगत कराया (सितंबर 2021) कि उसने भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत शिक्षकों को नियोजित नहीं किया क्योंकि योग्यता प्राप्त शिक्षकों द्वारा उच्च वेतन की मांग की जिसे गैर सरकारी संगठन द्वारा वहन नहीं किया जा सकता।

शिक्षकों की उचित योग्यता का अभाव विशेष विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

(ii) 2016-21 के दौरान छः गैर-सरकारी संगठनों[55] द्वारा स्पीच थेरेपिस्ट/ ऑडियोलॉजिस्ट / फिजियोथेरेपिस्ट[56] की नियुक्ति नहीं की गई थी। राजस्थान

---

53 सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन माणकलाव, जोधपुर एवं विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर

54 विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर।

55 (i) विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर (ii) वेलफेयर इंडिया सोसाइटी, कोटा (iii) तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान, डूंगरपुर (iv) सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर) बाड़मेर (v) सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान, बीकानेर (vi) योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान, निवाई, टोंक।

56 आयुक्त सह शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विद्यालय की श्रेणी के अनुसार विशेष विद्यालय में विषय में विशेषज्ञता रखने वाले एक स्पीच थेरेपिस्ट/ ऑडियोलॉजिस्ट/ फिजियोथेरेपिस्ट/ब्रेल शिक्षक/योग शिक्षक/मनोवैज्ञानिक की सेवाओं की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए (अप्रैल 2011)।

सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति जिलों में अनुपलब्धता एवं कम मानदेय (बीकानेर एवं डूंगरपुर) के कारण नहीं की गयी थी।

ये उदाहरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए गैर सरकारी संगठनों को जारी अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी की कमी को दर्शाते हैं।

4.4 संस्थानों का पंजीयन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 49 में प्रावधान है कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए संस्थानों के पंजीयन और ऐसे संस्थानों को अनुदान देने के उद्देश्य से एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 7 के अनुसार, संस्थान के पंजीयन के लिए निदेशक, निदेशालय, विशेष योग्यजन सक्षम प्राधिकारी होगा। तदनुसार, राजस्थान सरकार ने निदेशक, निदेशालय, विशेष योग्यजन को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त (जून 2018) किया। जिला कलेक्टर को मई 2018 तक गैर सरकारी संगठन के पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

निदेशालय, विशेष योग्यजन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा जुलाई 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 184 गैर सरकारी संगठनों को पांच साल के लिए पंजीकृत किया गया था।

(i) ***नया पंजीयन स्वीकृत करना*** – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51 (2) प्रावधान करती है कि गैर सरकारी संगठनों से आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों की अवधि के भीतर आवेदक को पंजीयन का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा। निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा सितंबर 2019 से मार्च 2021 के दौरान गैर सरकारी संगठनों के नए पंजीयन के लिए प्राप्त 23 आवेदनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 22 पंजीयन प्रमाण-पत्रों को स्वीकृत करने में प्रस्तुत करने की तिथि/जिला अधिकारी द्वारा भेजने की तिथि से 109 दिन से 526 दिन का समय लिया गया ***(विवरण परिशिष्ट -IV)***।

(ii) ***पंजीयन के नवीनीकरण को स्वीकृत करना*** – निदेशक, निदेशालय, विशेष योग्यजन ने आदेश जारी किए (जुलाई 2018) कि गैर सरकारी संगठन से पंजीयन प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के दिन से 60 दिनों के भीतर आवेदक को नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। गैर सरकारी संगठनों के पंजीयन के नवीनीकरण के 23 मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 17 प्रकरणों में, निदेशक, निदेशालय, विशेष योग्यजन ने 2018-21 के दौरान आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंजीकृत प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण के लिए 78 दिन से 529 दिन तक का समय लिया ***(विवरण परिशिष्ट-V)***।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि पंजीयन प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद जारी किए जाते हैं और पंजीयन प्रमाण-पत्र समय पर जारी करना आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण बाधित हो सकता है। उत्तर में यह भी अवगत कराया कि प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है।

अनुशंसा 9: *राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों का समय पर पंजीयन स्वीकृत करने और उनके नवीनीकरण के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर सकती है और गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी निगरानी के लिए उचित डेटाबेस तैयार कर सकती है।*

अध्याय–V

वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

अध्याय-V

वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए विशेषकर राज्य में विशेष योग्यजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं में बजटीय निधियों का उपयोग अपर्याप्त पाया गया। निदेशालय, विशेष योग्यजन में पर्याप्त समर्पित कर्मचारियों की कमी थी जो विशेष योग्यजनों से संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक था।

जिला अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठनों का तिमाही/मासिक निरीक्षण नहीं किया।

5.1 वित्तीय प्रबंधन

2016-21 के दौरान, विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत निदेशालय, विशेष योग्यजन को बजट के माध्यम से राशि ₹ 286.79 करोड़ (भारत सरकारः ₹ 84.93 करोड़ तथा राजस्थान सरकारः ₹ 201.86 करोड़) आवंटित की गई थी। इसमें से, यह पाया गया कि निदेशालय ने ₹ 246.46 करोड़ (85.94 प्रतिशत) का उपयोग कर लिया था। वर्ष 2016-21 के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण **तालिका 3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन			व्यय		
	योजना[57]/ केंद्रीय सहायता	गैर-योजना/ राज्य निधि	कुल	योजना/ केंद्रीय सहायता	गैर-योजना/ राज्य निधि	कुल *(प्रतिशत)*
2016-17	22.41	10.06	32.47	19.25	9.71	28.96 (*89.19*)
2017-18	7.00	55.87	62.87	0.47	50.84	51.31 (*81.61*)
2018-19	32.00	41.00	73.00	21.98	39.49	61.47 (*84.21*)
2019-20	11.94	46.12	58.06	4.14	44.25	48.39 (*83.34*)
2020-21	11.58	48.81	60.39	8.63	47.70	56.33 (*93.27*)
कुल	**84.93**	**201.86**	**286.79**	**54.47**	**191.99**	**246.46 (*85.94*)**

स्रोतः निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

तालिका विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए धन के कम उपयोग को इंगित करती है क्योंकि 2016-21 की अवधि के दौरान पांच में से चार वर्षों में बचत 10 प्रतिशत से अधिक रही।

57 2017-18 से योजना/गैर योजना का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है।

2016-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निदेशालय, विशेष योग्यजन के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं में निधियों के उपयोग की भी लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई थी। विवरण नीचे **तालिका 4** में दिया गया है:

तालिका 4

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय	बचत
1	संयुक्त सहायता अनुदान योजना	27.06	22.81	4.25
2	विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना	0.63	0.44	0.19
3	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना	25.17	23.32	1.85
4	विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना	6.03	5.64	0.39
5	विशेष योग्यजन चिन्हीकरण योजना	5.78	4.42	1.36
6	पेंशन धारक विशेष योग्यजन को स्व-व्यवसाय योजना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता	0.00[58]	0.00[58]	0.00
7	विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना	0.18	0.13	0.05
8	आस्था योजना	0.09	0.04	0.05
9	विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	0.43	0.43	0.00
10	पोलियो सुधार शिविर	0.00	0.00	0.00
11	विशेष योग्यजन स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजना	0.00	0.00	0.00
12	विशेष योग्यजन खेलकूद योजना	0.50	0.24	0.26

स्रोतः निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016-21 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित दो योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया।

अ. *पोलियो सुधार शिविर*

ब. *विशेष योग्यजन स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजना*

इसके अलावा निम्न में केवल नाममात्र व्यय किया गया था

स. *स्व-व्यवसाय के लिए पेंशन धारकों को एकमुश्त वित्तीय सहायता (2016-17 के दौरान ₹ 0.15 लाख)*

58 2016-17 के दौरान ₹ 0.15 लाख व्यय किए गए।

द. *आस्था योजना (2020-21 के दौरान ₹ 3.67 लाख)*

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि विशेष योग्यजनों से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को योजनाओं के संबंध में विशेष योग्यजनों के बीच सरकारी योजनाओं के अन्दर जागरूकता बढ़ाने और जागरूकता अभियान के माध्यम से विशेष योग्यजनों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

निधियों का कम उपयोग इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि भारत सरकार से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त निधियों का भी निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया गया था। नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं:

(अ) भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान विशेष योग्यजनों की दिव्यांगता के प्रमाणीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (सूप्रौ) अवसंरचना के लिए ₹ 0.12 करोड़ जारी किए, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा आगे राज्य के 12 जिलों को जारी किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उप्र) भारत सरकार को मार्च 2021 तक अर्थात अनुदान जारी होने के तीन साल से अधिक समय तक प्रेषित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि संबंधित जिलों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल तीन जिलों डूंगरपुर, जालौर एवं बाड़मेर से ही प्राप्त हुए हैं।

(ब) भारत सरकार ने राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (राईस), जयपुर को विशेष योग्यजनों की दिव्यांगता के प्रमाणीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (सूप्रौ) अवसंरचना के क्रय के लिए जनवरी 2019 में ₹ 0.21 करोड़ जारी किए। राजस्थान सरकार को यह राशि राज्य के 21 जिलों को जारी करनी थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि धनराशि जिलों को जारी नहीं की गई थी और इसके बजाय मार्च 2021 तक अर्थात दो साल से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी राईस के बैंक खाते में पड़ी थी। अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पाया गया कि विभाग राशि के हस्तांतरण के लिए जिले में संबंधित प्राधिकारियों के बैंक खाता विवरण प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था।

उपनिदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अप्रैल 2022) कि भारत सरकार से प्राप्त निधियों का सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की खरीद पर व्यय करने के लिए योजना तैयार की जाएगी।

5.2 मानव संसाधन प्रबंधन

राजस्थान विशेष योग्यजन नीति, 2012 का क्लॉज़ 11 प्रावधित करता है कि विशेष योग्यजनों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक अधिकारी को पुनर्वास प्रबंधन में प्रशिक्षित पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के साथ जिला स्तर पर तैनात किया जाएगा।

निदेशालय विशेष योग्यजन और आठ नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि:

(i) विशेष योग्यजनों से संबंधित कार्यों जैसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं आदि के निष्पादन के लिए जिला अथवा निचले स्तर पर निदेशालय, विशेष योग्यजन का कोई समर्पित कर्मचारी नहीं था। इन उद्देश्यों के लिए, निदेशालय, विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों पर निर्भर है जिनमें पहले से ही कर्मचारियों की कमी है क्योंकि आठ नमूना जांच किए गए जिलों में इनके जिला कार्यालयों में रिक्तियां 18.18 प्रतिशत से 47.06 प्रतिशत के बीच थीं। इसे इस तथ्य के मध्यनजर देखे जाने की आवश्यकता है कि 'विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए विशाल क्षेत्र'[59] में केंद्रित हस्तक्षेप के लिए अक्टूबर 2011 में विशेष योग्यजनों के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई थी।

    जमीनी स्तर पर समर्पित और पर्याप्त कर्मचारियों की कमी एक विशिष्ट निदेशालय की स्थापना के उद्देश्य को विफल करती है और विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए आवश्यक विशेष ध्यान को बाधित करती है।

(ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने खण्ड स्तर पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों का कार्यालय स्थापित (जनवरी 2018) किया और विशेष योग्यजनों से संबंधित दो योजनाओं यथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना और विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना सहित छः योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को सौंपा (अप्रैल 2018)। अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवंबर 2021) में पाया गया कि ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के 295 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मार्च 2021 तक केवल 129 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (43.73 प्रतिशत) पदस्थापित थे। आगे यह देखा गया कि मार्च 2021 तक राज्य के 4 जिलों[60] में एक भी

---

59 https://dsap.rajasthan.gov.in/home.aspx

60 राजसमंद, कोटा, जालौर और बारां।

ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यरत नहीं था जबकि दस जिलों[61] में केवल 1 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यरत था।

आठ नमूना जांच किए गए जिलों के चयनित 16 खंडों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जिन खंडों में ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद रिक्त थे, उन्हें संबंधित जिले के अन्य ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को अतिरिक्त रूप से आवंटित किया गया था और ये खण्ड भौगोलिक रूप से 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के बीच बहुत दूर थे, इसलिए, ऐसे खंडों के विशेष योग्यजनों को इन योजनाओं के लिए आवेदन करने या अपनी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए अतिरिक्त प्रभार रखने वाले ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पास लंबी दूरियां तय करनी पड़ती थी। विशेष योग्यजनों द्वारा सामना की जाने वाली आवागमन में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की भारी रिक्ति के परिणामस्वरूप उन्हें अपनी शिकायतों का समाधान करने में अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

अनुशंसा 10: *राज्य सरकार अधिनियम और योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला/खण्ड स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन के साथ अलग विशेष योग्यजन कार्यालय स्थापित कर सकती है।*

5.3 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है और इसमें नीतियों के पालन और संपत्तियों की सुरक्षा सहित अपनी योजनाओं के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के विभाग के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए अपनाई गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं। निरीक्षणों और प्रतिवेदनों के माध्यम से निगरानी प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है।

5.3.1 निरीक्षण

राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजनों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के तिमाही आधार पर निरीक्षण के लिए आदेश जारी (जून 2015) किया। इसके बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और निदेशालय, विशेष योग्यजन अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित संस्थानों की गतिविधियों का स्वयं अथवा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अथवा

61 भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, सिरोही और टोंक।

ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से मासिक आधार पर निरीक्षण करने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये (जुलाई 2018, मई 2019 और अगस्त 2020)।

चयनित आठ जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जिला अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठनों का त्रैमासिक/मासिक निरीक्षण नहीं किया और इसके स्थान पर निदेशालय विशेष योग्यजन को अनुदान जारी करने के लिए अनुशंसा करते समय अर्धवार्षिक आधार पर निरीक्षण किये गये। नमूना जांच किए गए 19 गैर सरकारी संगठनों, जो मानसिक विमंदित गृहों और आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करते थे, ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया गया (अगस्त 2021-जनवरी 2022) कि जिला अधिकारियों द्वारा मासिक/त्रैमासिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि गैर सरकारी संगठनों का संयुक्त निरीक्षण जिला अधिकारी और जिला कलेक्टर के एक प्रतिनिधि द्वारा किया गया है। इसमें आगे अवगत कराया गया कि अब विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा संस्थानों का मासिक निरीक्षण किया जाता है। तथापि, इस उत्तर के समर्थन में विभाग द्वारा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये (दिसम्बर 2022)।

अर्धवार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने में प्रभावी निगरानी और उचित परिश्रम की कमी इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि गैर सरकारी संगठनों ने दान/अन्य आय प्राप्त की जैसा कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किए गए वार्षिक खातों (सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित) में दर्शाया गया है लेकिन जिला कार्यालय द्वारा निदेशालय, विशेष योग्यजन को प्रेषित अर्धवार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन में इस संबंध में जानकारी शून्य दर्शाई गई थी। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता अनुदान के लिए नियम 1972 के नियम 7 (क तथा ख) यथा मई 1992 में संशोधित में प्रावधान हैं कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान उनको स्वीकृत व्यय के आधार पर है, सहायता अनुदान की राशि और गैर सरकारी संगठनों की स्वयं की आय स्वीकृत व्यय से अधिक नहीं हों, दूसरे शब्दों में, स्वयं की आय को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान से घटाया जाना चाहिए। हालांकि, अर्धवार्षिक प्रतिवेदन में उचित दर्शाये जाने के अभाव में, राज्य सरकार ने एक गैर सरकारी संगठन के मामले में अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर अधिक अनुदान जारी किया गया था। जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट-VI*** में हैं।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि जिला अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के निर्धारित निरीक्षणों की कमी और गैर सरकारी संगठनों की निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने में उचित परिश्रम की कमी के अलावा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर पाया गया जैसा कि अनुच्छेद 2.3, 2.5.4, 3.1.3, 3.3.2 और 3.3.3 में प्रकाश डाला गया है।

महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्रों जिनके माध्यम से विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को कार्य करने की आवश्यकता थी, में भी कई खामियां पाई गई थीं जैसा कि अनुच्छेद 2.5.1 से 2.5.5 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र के कई पहलुओं में तदर्थ और कमी पाई गई। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम के तहत परिकल्पित योजनाओं और गतिविधियों के कुशल निष्पादन और उनकी नियमित और प्रभावी निगरानी के लिए इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा 11: *राज्य सरकार अधिनियम में परिकल्पित मजबूत संस्थागत तंत्र और समय पर सटीक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करके प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित कर सकती है।*

जयपुर, **(के. सुब्रमण्यम)**
17 मार्च, 2023 **प्रधान महालेखाकार**
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली, **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
20 मार्च, 2023 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5)

नमूना जांच के लिए चयनित इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	जिलों का नाम	खंडों का नाम	मानसिक विमंदित गृह	आवासीय/गैर आवासीय विद्यालय	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत विशेष विद्यालय	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र के तहत केंद्र	एडीआईपी योजना के तहत केंद्र
1	बाड़मेर	गिधा, समदरी	सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर), बाड़मेर	सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर), बाड़मेर	-		
2	बीकानेर	पांचू, बीकानेर	सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान, बीकानेर	सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान, बीकानेर	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, बीकानेर		
3	डूंगरपुर	आसपुर, गलियाकोट	तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान, डूंगरपुर	तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान, डूंगरपुर	-		
4	जोधपुर	बापिनी, शेरगढ़	नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर	सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन माणकलाव, जोधपुर जोधपुर बधिर कल्याण समिति, जोधपुर	मरुधरा बाल शिक्षण संस्थान, जोधपुर		
5	कोटा	लाडपुरा, इटावा	मां माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, कोटा	शिविका वेलफेयर सोसायटी, कोटा वेलफेयर इंडिया सोसायटी, कोटा	शिखर सोसायटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडिकैप्ड, कोटा		
6	सवाईमाधोपुर	बामनवास, खंडार	यश विकलांग एवं मंदबुद्धि सेवा संस्थान, सवाईमाधोपुर	यश विकलांग एवं मंदबुद्धि सेवा संस्थान, सवाईमाधोपुर मर्सी रिहैबिलिटेशन सोसायटी, सवाईमाधोपुर	प्रयास संस्थान, सवाईमाधोपुर		
7	टोंक	उनियारा, मालपुरा	मानव धर्म विकलांग सेवा संस्थान, टोंक	योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान सिरोही, निवाई, टोंक	-		
8	उदयपुर	कुराबड, गोगुन्दा	आशाधाम आश्रम सोसाइटी, उदयपुर	विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर
							भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर झाना राम झम्मन लाल सैनी मानव सेवा समिति, जयपुर

परिशिष्ट-II

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1)

2016-21 के दौरान निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा कार्यान्वित 12 योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम (प्रारंभ होने का वर्ष)	पात्रता	योग्यता
1	संयुक्त सहायता अनुदान योजना (1986)	विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं शारीरिक दिव्यांगता को सही करने के लिए ₹ 10,000/- तक के कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।	• राजस्थान का मूल निवासी • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (40% से कम नहीं) • परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
2	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना (2013-14)	विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ₹ 5.00 लाख तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 50,000 जो भी कम हो, अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।	• आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। • आवेदक की उम्र 18 से 55 के बीच होनी चाहिए। • आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। • दिव्यांगता पहचान-पत्र
3	विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना (1997)	विवाह के बाद सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए विशेष रूप से विशेष योग्यजन युवाओं/बालिकाओं को प्रति युगल ₹ 50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	• आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। • वर की उम्र 21 से कम और वधु की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। • आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4	विशेष योग्यजन चिन्हीकरण योजना (1986)	40 प्रतिशत एवं इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण कार्य आयोजित किया जाता है तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	• विशेष योग्यजन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
5	विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना (1981)	योजना के तहत कक्षा 1 से 4 तक ₹ 40 प्रति माह और कक्षा 5 से 8 तक ₹ 50 प्रति माह देय होगा।	• छात्र को सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। • अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। • छात्र पिछले वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। • राजस्थान का मूल निवासी • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40% से कम नहीं)

6	विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना (2011-12)	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती), अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं व्यावसायिक, तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में अनुदान स्वीकृत किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर उत्तीर्ण होने एवं प्रवेश लेने पर ₹ 5,000 से ₹ 65,000 तक की अनुदान राशि दी जाती है।	• उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। • उम्मीदवार की आय सहित परिवार की आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। • उम्मीदवार ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो और सूचीबद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया हो।
7	विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना (1984-85)	प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर निदेशालय द्वारा दो श्रेणियों यथा श्रेष्ठ योग्य व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कार्यालयों, एजेंसियों एवं अन्य को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति/संगठन को ₹ 10,000 से ₹ 15,000 तक नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।	• आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। • राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन
8	विशेष योग्यजन खेलकूद योजना 1996 (2014 में संशोधित)	खेल योजना का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कौशल एवं क्षमता में वृद्धि करना है ताकि दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।	• आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। • उम्मीदवार एक विशेष योग्यजन होना चाहिए।
9	पेंशन धारक विशेष योग्यजन को स्व-व्यवसाय योजना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता (2007-08)	यदि कोई विशेष योग्यजन पेंशनभोगी आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से अपना व्यवसाय करना चाहता है तो उसे मासिक पेंशन बंद कर ₹ 15,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाए।	• आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। • आवेदक कोषागार कार्यालय से विशेष योग्यजन पेंशन ले रहा होना चाहिए।
10	आस्था योजना	ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो, उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाता है, जिनसे इन परिवारों को बीपीएल के बराबर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।	• ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य विशेष योग्यजन हों और उस परिवार की वार्षिक आय ₹ 1.20 लाख से अधिक न हो।
11	पोलियो सुधार शिविर (2000)	स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पोलियो रोगियों के लिए निःशुल्क पोलियो सुधार अभियान चलाकर शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रति ऑपरेशन ₹ 5,000 का अनुदान स्वीकृत किया जाता है।	• राजस्थान राज्य का कोई भी पोलियो प्रभावित व्यक्ति
12	विशेष योग्यजन स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजना (2012-13)	विशेष योग्यजनों को अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना और उन्हें रहने के लिए पुनर्वासित करना।	• राजस्थान का मूल निवासी • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

परिशिष्ट-III

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2.2 (ii))

(अ) वर्ष 2016-21 के दौरान राजकीय मानसिक विमंदित गृह के बालक एवं महिला प्रकोष्ठ में मानव संसाधन की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या का विवरण

वर्ष	बालक विंग				महिला विंग			
	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कमी	*कमी प्रतिशत*	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कमी	*कमी प्रतिशत*
2016-17	56	22	34	**60.71**	57	21	36	63.16
2017-18	56	23	33	58.93	57	24	33	**57.89**
2018-19	56	37	19	**33.93**	57	23	34	59.65
2019-20	56	31	25	44.64	57	19	38	66.67
2020-21	56	25	31	55.36	57	19	38	**66.67**

(ब) मार्च 2021 को गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृहों में चिकित्सा कर्मचारी सहित मानव संसाधन की कुल स्वीकृत और कार्यरत संख्या का विवरण

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे मानसिक विमंदित गृहों के नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या मार्च 2021 की स्थिति	रिक्त पद कमी	कमी प्रतिशत
1	आशाधाम आश्रम सोसाइटी, उदयपुर	167	87	80	47.90
2	मां माधुरी बृज वारिश सेवा सदन, कोटा (अपना घर)	77	40	37	48.05
3	यश विकलांग एवं मंदबुद्धि सेवा संस्थान, सवाईमाधोपुर	42	23	19	45.24
4	नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर	146	42	104	**71.23**
5	सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर), बाड़मेर	42	32	10	23.81
6	सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान, बीकानेर	42	23	19	45.24
7	तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान, डूंगरपुर	30	19	11	36.67
8	मानव धर्म विकलांग सेवा संस्थान, टोंक	42	37	05	**11.90**
		11.90% से 71.23%			

परिशिष्ट-IV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.4 (i))

गैर सरकारी संगठनों को नया पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने में लगने वाले समय का विवरण

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों के नाम	गैर सरकारी संगठनों द्वारा आवेदन जमा करने की तिथि	जिला अधिकारी द्वारा निरीक्षण की तिथि	जिला अधिकारी द्वारा निदेशालय, विशेष योग्यजन को आवेदन अग्रेषित करने की तिथि	निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा नया पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि	निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा नया पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने में लिया गया समय (दिनों में देरी)
1	राजपुताना शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर	21.03.21	23.03.21	23.03.21	08.07.21	109
2	खेमा बाबा शिक्षण एवं शोध संस्थान, बायतू, बाड़मेर	25.08.20	04.09.20	08.09.20	29.07.21	338
3	संतोष शिक्षा समिति, जयपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	09.07.21	28.07.21	19
4	दीपक संस्थान, झाड़ोल, उदयपुर	अनुपलब्ध	19.11.19	25.11.19	15.04.21	513
5	मां भारती सेवा संस्थान, टोंक	अनुपलब्ध	30.12.20	01.01.21	23.07.21	205
6	विवेकानंद विद्या आश्रम संस्था, चूरू	अनुपलब्ध	09.10.20	12.10.20	05.03.21	147
7	चतुरवर्ग फलपर्दा हायर एजुकेशन और मोरल पायनियर सोसायटी, अलवर	18.03.21	26.03.21	05.04.21	09.07.21	113
8	जन जागृति संस्थान, अलवर	14.08.20	17.08.20	05.10.20	31.12.20	139
9	शिव शक्ति ग्रामीण विकास समिति, करौली	अनुपलब्ध	18.03.20	18.03.20	24.06.21	463
10	शारदा शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान, पीपलू, टोंक	03.03.21	15.03.21	16.03.21	07.07.21	126
11	सरदार पटेल शिक्षा समिति, टोंक	25.02.21	10.03.21	16.03.21	24.06.21	119
12	सुबोध शिक्षण संस्थान, कानोता, सुजानगढ़, चूरू	16.07.20	20.07.20	20.07.20	06.07.21	355
13	एम आर पब्लिक शिक्षण संस्थान, चूरू	29.11.19	02.12.19	02.12.19	17.03.21	474
14	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर	अनुपलब्ध	02.10.19	04.10.19	25.06.20	267
15	अल अशरफ शिक्षण सोसायटी, बासनी, नागौर	17.09.19	10.10.19	10.10.19	22.01.20	127
16	कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी, लाडनूं, नागौर	17.09.19	09.10.19	10.10.19	22.01.20	127
17	महाराजा सवाई मानसिंह वेलफेयर सोसायटी, जयपुर	07.07.20	12.07.20	28.07.20	07.12.20	153
18	लक्ष्य शिक्षण संस्थान, जयपुर	18.09.20	23.10.20	09.12.20	12.03.21	175
19	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	26.09.19	24.10.19	09.12.19	05.03.21	**526**
20	प्रत्येक व्यक्ति की उम्मीद की संस्थान, जयपुर	अनुपलब्ध	16.10.19	31.10.19	02.12.20	413
21	आर एन विकास एंड शिक्षण संस्थान, जोधपुर	05.08.20	25.08.20	21.09.20	17.03.21	224
22	मानव कल्याण एवं विकास शिक्षण संस्थान, जोधपुर	05.08.20	25.08.20	21.09.20	17.03.21	224
23	आदर्श बाल विद्यालय समिति, जोधपुर	अनुपलब्ध	27.02.20	27.02.20	31.12.20	308

परिशिष्ट–V

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.4 (ii))

गैर सरकारी संगठनों के नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने में लगने वाले समय का विवरण

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों के नाम	गैर सरकारी संगठन के पंजीयन की वैधता तिथि	गैर सरकारी संगठन द्वारा आवेदन जमा करने की तिथि	जिला कार्यालय द्वारा निदेशालय विशेष योग्यजन को आवेदन अग्रेषित करने की तिथि	निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि	नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने में लगने वाला समय दिनों में
1	सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर), बाड़मेर	29.09.2019	अनुपलब्ध	28.06.2019	08.12.2020	529
2	सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान, बीकानेर	24.04.2020	अनुपलब्ध	19.02.2020	08.09.2020	202
3	तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान, डूंगरपुर	20.03.2021	अनुपलब्ध	01.02.2021	26.02.2021	25
4	नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर	16.02.2020	15.01.2020	21.01.2020	04.09.2020	233
5	यश विकलांग एवं मंदबुद्धि सेवा संस्थान, सवाईमाधोपुर	28.09.2019	27.06.2019	02.07.2019	20.08.2019	54
6	मानव धर्म विकलांग सेवा संस्थान, टोंक	26.11.2019	14.09.2019	17.09.2019	22.01.2020	130
7	आशाधाम आश्रम सोसाइटी, उदयपुर	15.03.2019	12.02.2019	15.03.2019	30.05.2019	107
8	शिविका स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, कोटा	17.03.2020	अनुपलब्ध	04.03.2020	19.06.2020	107
9	मर्सी रिहैबिलिटेशन सोसायटी, सवाईमाधोपुर	26.01.2021	13.10.2020	04.03.2021	15.04.2021	184
10	योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान सिरोही, निवाई, टोंक	25.10.2020	25.08.2020	15.09.2020	13.10.2020	49
11	विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर	07.01.2020	अनुपलब्ध	24.12.2020	15.03.2021	81
12	वेलफेयर इंडिया सोसायटी, कोटा	13.02.2020	27.12.2019	18.02.2020	13.10.2020	291
13	शिरवर सोसायटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडिकैप्ड, कोटा	19.01.2021	अनुपलब्ध	22.11.2020	10.02.2021	80
14	प्रयास संस्था, सवाईमाधोपुर	03.10.2020	14.09.2020	16.09.2020	22.10.2020	38
15	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, बीकानेर	21.10.2019	05.09.2019	03.10.2019	29.11.2019	85
16	मरुधरा बाल शिक्षण संस्थान, पीपार सिटी, जोधपुर	05.10.2020	अनुपलब्ध	18.09.2020	27.10.2020	39
17	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	09.11.2020	02.09.2020	07.10.2020	14.10.2020	42

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों के नाम	गैर सरकारी संगठन के पंजीयन की वैधता तिथि	गैर सरकारी संगठन द्वारा आवेदन जमा करने की तिथि	जिला कार्यालय द्वारा निदेशालय विशेष योग्यजन को आवेदन अग्रेषित करने की तिथि	निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि	नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने में लगने वाला समय दिनों में
18	ज्ञाना राम झम्मन लाल सैनी मानव सेवा समिति, जयपुर	08.12.2019	22.10.2019	15.11.2019	27.01.2020	97
19	हरप्रभ आसरा सेवा समिति, श्रीगंगानगर	28.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	19.08.2020	78
20	जुबिन स्पास्टिक होम एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर	14.10.2019	14.08.2019	09.01.2020	10.11.2020	454
21	मां सेवा संस्थान, झुंझुनू	15.09.2019	09.08.2019	19.08.2019	22.01.2020	166
22	स्वामी विवेकानंद मूक बधिर विद्यालय एवं छात्रावास, कोलाना, दौसा	21.05.2020	13.08.2020	21.07.2020	15.04.2021	245
23	मां माधुरी बृज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था, भरतपुर	03.12.2019	26.09.2019	01.11.2019	27.02.2020	154

परिशिष्ट–VI

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.3.1)

2016–17 से 2019–20 के दौरान बधिर कल्याण समिति, जोधपुर को दिये गए अनुदान का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	समिति के लेखे (बधिर कल्याण समिति, जोधपुर)			छात्रावास के लेखे (गांधी मूक बधिर छात्रावास जोधपुर)			स्कूल के लेखे (गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय)			कुल योग (कॉलम 4 + 7 + 10)	स्वीकृत राशि	गैर सरकारी संगठन का योगदान स्वीकृति का (10%)	शुद्ध अंतर (कॉलम 11–13)
	क्र.सं.	विवरण/शीर्षक	राशि	क्र. सं.	विवरण/शीर्षक	राशि	क्र. सं.	विवरण/शीर्षक	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2016-17	1	गैर सरकारी संगठन के वित्तीय विवरण में दिखाई गई आय	229130	1	बैंक का ब्याज	9072	1	बैंक का ब्याज	10353				
				2	मेस के रूप में दान	362129	2	किताबों के रूप में दान	8010				
							3	विविध आय	25345				
कुल			**229130**			**371201**			**43708**	644039	**2595220**	**259522**	**384517**
2017-18	1	गैर सरकारी संगठन के वित्तीय विवरण में दिखाई गई आय	612903	1	बैंक का ब्याज	4109	1	बैंक का ब्याज	11420				
				2	मेस के रूप में दान	417693	2	विविध आय	6550				
कुल			**612903**			**421802**			**17970**	**1052675**	**2850010**	**285001**	**767674**
2018-19	1	गैर सरकारी संगठन के वित्तीय विवरण में दिखाई गई आय	1236715	1	बैंक का ब्याज	1936	1	बैंक का ब्याज	12242				

वर्ष	समिति के लेखे (बधिर कल्याण समिति, जोधपुर)			छात्रावास के लेखे (गांधी मूक बधिर छात्रावास जोधपुर)			स्कूल के लेखे (गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय)			कुल योग (कॉलम 4 + 7 + 10)	स्वीकृत राशि	गैर सरकारी संगठन का योगदान स्वीकृति का (10%)	शुद्ध अंतर (कॉलम 11-13)
	क्र.सं.	विवरण/शीर्षक	राशि	क्र. सं.	विवरण/शीर्षक	राशि	क्र. सं.	विवरण/शीर्षक	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				2	मेस के रूप में दान	546527							
कुल			1236715			548463			12242	1797420	3791375	379138	1418282
2019-20	1	गैर सरकारी संगठन के वित्तीय विवरण में दिखाई गई आय	3739243	1	बैंक का ब्याज	1669	1	बैंक का ब्याज	13129				
				2	मेस के रूप में दान	573953							
कुल			3739243			575622			13129	4327994	4250730	425073	3902921
कुल योग			5817991			1917088			87049	7822128	13487335	1348734	6473394 अर्थात, 64.73 लाख

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi